महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून 2005 पर प्रतिवेदन

माउन्ट वैली डेवलेपमेंट एशोसिएशन
टिहरी गढ़वाल

एक्शनएड – इण्डिया
लखनऊ

Scanned by CamScanner

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून 2005 पर प्रतिवेदन

प्रस्तुति

माउन्ट वैली डेवलेपमेंट
ऐसोसिएशन
टिहरी गढ़वाल

एक्शनएड – इण्डिया
लखनऊ

Scanned by CamScanner

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून 2005 पर प्रतिवेदन

आलेख, संकलन सरलीकरण एवं सम्पादन

अवतार सिंह नेगी, पूरन बर्त्वाल, दुर्गा प्रसाद,

प्रकाशन वर्ष : दिसम्बर 2010

प्रस्तुति एवं प्रकाशन

माउन्ट वैली डेवलेपमेंट ऐसोसिएशन
दोणी, घनसाली, टिहरी गढ़वाल
दूरभाष : 01379–214094, 214111, 258582, 9412079206, 9627271962
ई–मेल : mvda_tehri@yahoo.co.in,
वेबसाइट : www.mvda.org.in

सहयोग : एक्शन एड इण्डिया

मुद्रक : चारू प्रिंटर्स,
118, पार्क रोड, देहरादून
फोन : 0135–2727591

इस पुस्तक में प्रकाशित सामग्री का किसी भी रूप में उपयोग किया जा सकता है, यदि स्रोत का उल्लेख करेंगे तो अच्छा लगेगा।

Scanned by CamScanner

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	4
2.	मनरेगा के बारे में	5
3.	शासनादेश एवं अखबार की सुर्खियों से संलग्नक	9
4.	मनरेगा अध्ययन : समाजिक संगठनों के अनुभव	14
5.	मनरेगा की राज्य स्तरीय कार्यशाला ..... 25 मार्च 2010	20
6.	मनरेगा की राज्य स्तरीय कार्यशाला ..... 26 जून 2010	28
7.	प्रतिभागियों की सूची	38

Scanned by CamScanner

❖ प्रस्तावना ❖

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन पर कार्य करने वाले मजदूर संगठनों, जन संगठनों तथा नागर समाज संगठनों के लम्बे संघर्षों के बाद भारत वर्ष की संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 को कुछ लोगों के द्वारा किये जाने वाले विरोध के बावजूद पारित किया गया, हालांकि यह कानून अगस्त 2004 में सरोकार रखने वाले नागरिकों द्वारा तैयार किये गये प्रारूप के अनुरूप नहीं बन पाया है परन्तु फिर भी यह कानून एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग ग्रामीण मजदूर अपने सशक्तीकरण के लिए कर सकते हैं। गारन्टी शुदा रोजगार उन्हें आर्थिक असुरक्षा से बचा सकता है तथा अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए संगठित होने में उनकी मदद कर सकता है।

समाज में गरीब व कमजोर वर्ग को ध्यान में रखकर बने कानूनों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के बीच का अन्तर आज भी सबसे बड़ी समस्या है। प्रत्येक सामाजिक कानून का इतिहास यही रहा है कि कानून बनने के बाद भी लोगों को अपनी हकदारी पाने के लिए लम्बी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अन्य राज्यों की भांति उत्तराखण्ड में भी महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी कानून (मनरेगा) के क्रियान्वयन में जमीनी स्तर पर जौब कार्ड बनने, कार्ड धारकों द्वारा रोजगार हेतु आवेदन करने, पंचायत स्तर पर रोजगार योजना तैयार करने, प्रत्येक जौब कार्ड धारक को 100 दिन तक का रोजगार उपलब्ध कराने, स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्यों की पहचान करने, कार्यों की गुणवत्ता, क्रियान्वयन में पारदर्शिता, सोसियल आडिट आदि में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उत्तराखण्ड जन कारवां मंच से जुड़ी स्वैच्छिक संरचनाओं तथा माउन्ट वैली डेवलपमेन्ट एसोसिएसन द्वारा अपने–2 कार्य क्षेत्र में इस कानून पर व्यापक जन जागरूकता, प्रशिक्षण एवं जानकारियों का आदान–प्रदान किया गया तथा इसके क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं तथा नीतिगत मुद्दों की पहचान करने हेतु पांच जिलों के सात विकास खण्डों की 52 ग्राम पंचायतों में एक विस्तृत अध्ययन किया गया। अध्ययन को राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया तथा योजना के क्रियान्वयन में सुधार हेतु एक मांग पत्र तैयार कर मनरेगा प्रकोष्ठ राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया।

यह पुस्तिका मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार हेतु माउन्ट वैली डेवलपमेन्ट एसोसिएसन, टिहरी तथा उत्तराखण्ड जन कारवां मंच की अन्य सहयोगी संस्थाओं, जनदेश, चमोली, प्रयास, नैनीताल तथा महिला कल्याण संस्था ऊधम सिंह नगर द्वारा किये गये प्रयासों तथा अध्ययनों व विभिन्न कार्यशालाओं से निकले मांग पत्र व नीतिगत मुद्दों को सम्बन्धित हितगामियों तथा नीतिनिर्धारकों तक पहुंचाने हेतु तैयार की गई है।

Scanned by CamScanner

❖ मनरेगा के बारे में ❖

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कानून (मनरेगा)

मनरेगा पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो पंचायतों को अपने कार्यक्षेत्र में रहने वाले मजदूरों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजना है। इससे पंचायतें अपने ढांचागत सुविधाएं जैसे गूल, टैंक, वनीकरण आदि तैयार कर सकती हैं। दूसरे शब्दों में यह योजना एक वरदान के समान है।

मनरेगा उत्तराखण्ड राज्य के सभी जिलों में लागू है। मनरेगा जब 2006 में लागू हो रहा था, तब केवल बी.पी.एल. परिवारों के लिये लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया था लेकिन उत्तराखण्ड की ओर से केन्द्र स्तर पर सभी के लिये रोजगार देने की पैरवी की गयी जो स्वीकृत होकर आज देश के सभी राज्यों में यह कानून लागू हो गया है।

रोजगार

- ✶ मनरेगा के तहत राज्य में एक परिवार को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार हर स्थिति में उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार वचनबद्ध है जो मजदूर के द्वारा काम के लिये आवेदन करने के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना है।
- ✶ यह योजना मांग पर आधारित है अर्थात लोग सरकार से 100 दिन का काम प्रति परिवार तक मांग सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि मांगने पर लोगों को काम अवश्य दे। इसमें धन की कोई कमी नहीं है।

पंजीकरण

- ✶ रोजगार मांगने के लिए लोगों को काम हेतु पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के 15 दिन के अन्दर 5 किमी. के अन्दर काम मिलेगा। पंजीकरण करने पर

Scanned by CamScanner

कार्यक्रम अधिकारी से रसीद लेनी चाहिए। पंजीकृत व्यक्ति का फोटो ब्लाक द्वारा लिया जायेगा। (इसके लिए 6 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय ब्लाक को दिया जाता है।)

- ✶ पूरी योजना का 90 प्रतिशत खर्चा भारत सरकार (श्रम का 100 प्रतिशत तथा सामाग्री का 75 प्रतिशत) द्वारा दिया जाता है तथा 10 प्रतिशत राज्य द्वारा (सामाग्री का 25 प्रतिशत)
- ✶ पंजीकरण के 15 दिन के अन्दर काम न दिये जाने पर पंजीकृत व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता का हकदार हो जाता है। बेरोजगारी भत्ता बी.डी.ओ. की जिम्मेदारी है।

रोजगार योजना

- ✶ कानून के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखकर एक रोजगार योजना तैयार की जायेगी। 2 अक्टूबर की खुली बैठक में इस पर चर्चा कर इसको अन्तिम रूप दिया जायेगा तथा 17 अक्टूबर को यह योजना क्षेत्र पंचायत में जमा की जायेगी।
- ✶ विकास खण्ड स्तर पर मानकों के आधार पर परीक्षण के पश्चात पूरे ब्लाक की ग्राम पंचायत वार योजना तैयार की जायेगी तथा नवम्बर अन्तिम सप्ताह तक यह योजना जिला विकास अधिकारी को जमा की जायेगी।
- ✶ जनपद स्तर पर दिसम्बर द्वितीय सप्ताह तक इसमें सुधार किया जायेगा तथा जिला पंचायत के स्वीकृति के पश्चात 31 दिसम्बर तक इसे शासन को भेजा जायेगा।

गतिविधियों एवं कार्य

- ✶ कानून के अन्तर्गत दी गई गतिविधियों तथा कार्यों के दायरे में गांव में सभी तरह के कार्य किये जा सकते हैं। केवल उनका प्रस्तुतीकरण भूमि सुधार जल संग्रहण, जल संरक्षण, अकाल से बचाव, सिंचाई नहरें, जल श्रोतों का नवीनीकरण, भूमि विकास, बाढ़ नियन्त्रण तथा ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण आदि के दायरे में होना चाहिए।

Scanned by CamScanner

- कार्य स्थल पर सब्बल, फावड़े, तसले आदि तथा बोर्ड का खर्चा परियोजना से दिया जाना है न कि मजदूरों के द्वारा किया जाना था।
- राज्य में अभी मनरेगा के मानकों संशोधन करके 02 है. से कम जमीन वाले किसानों के खेतों में भूमि सुधार का कार्य किया जाता है।
- मनरेगा के तहत किये जाने वाले कार्यों के लिये कम से कम 60 प्रतिशत मजदूरी और अधिकतम 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय की जाती है। मजदूर के श्रमांश को केन्द्र सरकार व्यय करती है और सामग्री पर होने वाले व्यय 40 प्रतिशत का 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार के द्वारा और 25 प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है। इस प्रकर पूरे व्यय का 90 प्रतिशत केन्द्र और 10 प्रतिशत राज्य सरकार का होता है।
- प्रत्येक दिन 9 घन्टे में से 8 घन्टे कार्य तथा 1 घन्टे का आराम मिलेगा।
- कार्य स्थल पर पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, छाया हेतु व्यवस्था तथा बच्चों की देखरेख की व्यवस्था जैसी सुविधाएं आवश्यक हैं।
- काम की गति को ठीक रखने हेतु पीस दर पर भी काम कराया जा सकता है।
- यह ध्यान रखना है कि 100 रू. मजदूरी भुगतान करने पर इतना ही काम अवश्य पूरा हो जाय तथा किये गये काम की गुणवत्ता भी ठीक हो।

भुगतान

- मजदूरी के रूप में खाते में चढ़ाये गये पैसों में से यदि प्रधान या कोई कर्मचारी कुछ पैसे वापस मांगता है तो यह सरासर गलत एवं भ्रष्टाचार है। मजदूरों को इसकी शिकायत करनी चाहिए।
- यदि किसी के खाते में किये गये कार्य दिवसों से अधिक दिनों की मजदूरी चढ़ाई जाती है तथा उनसे बाकी पैसा वापस लौटाने के लिये कहा जाता है। तो यह गलत है इसकी भी शिकायत की जानी चाहिए।
- प्रधान या कर्मचारियों द्वारा काम देने हेतु मना करने, भुगतान में गड़बड़ी या किसी भी अन्य प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार किये जाने पर कानून का उलंघन माना जायेगा तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए जिलाधिकारी या राज्य प्रकोष्ठ में शिकायत की जा सकती है।

Scanned by CamScanner

- महिला या बुजुर्ग को भी मजदूरी का भुगतान समान अर्थात 100 रू. प्रतिदिन किया जायेगा। यदि महिलाओं से पैसा वापस करने को कहा जाता है तो इसकी शिकायत करें।

सामाजिक अंकेक्षण (सोशियल ऑडिट)

- साल में दो बार सोशियल ऑडिट होगा। अप्रैल से सोशियल ऑडिट की तारीखे निकाली जायेगी उनमें राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा भी औचक भ्रमण किया जाता है। सोशियल ऑडिट में रोजगार योजना मस्टरोल तथा अन्य सभी दस्तावेज सार्वजनिक किये जाते हैं तथा इसको कोई भी देख सकता है। अप्रैल से जून के बीच सोशियल ऑडिट की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। यह भी प्रयास किया जा रहा है कि सोशियल ऑडिट किसी बाह्य संस्था के माध्यम से कराया जाय।
- ग्रामीण विकास मन्त्री (भारत सरकार) सोशियल ऑडिट की समीक्षा करते हैं।

बीमा

- बी.पी.एल. कार्ड धारकों का जनश्री बीमा सरकार द्वारा किया जाता है जिसमें 18 से 59 वर्ष के उम्र के मजदूरों का 100 रू. राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।
- काम करते समय किसी भी व्यक्ति को चोट लगने पर उसका इलाज अस्पताल द्वारा मुफ्त किया जायेगा।
- काम करते वक्त चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज पूरा होने तक आधे दिन की मजदूरी का भुगतान किया जायेगा।
- कार्य करते समय चोट लगने से अपंगता होने या मृत्यु हो जाने पर 25 हजार रूपये का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा।

शिकायतें

- किसी भी प्रकार की शिकायतें कार्यक्रम अधिकारी तथा बी.डी.ओ. कार्यालय में शिकायत रजिस्टर में दर्ज कराने पर 7 दिन के अन्दर उसका निपटारा किया जाता है।

Scanned by CamScanner

संख्या : /8–2/रा0ग्रा0रो0गा0यो0/2009–10

प्रेषक :

सचिव
ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषितः

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास विभाग : देहरादून : दिनांक : ,2009

महोदय,

भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 में संशोधन करते हुए लघु एवं सीमान्त कृषकों के स्वामित्व की भूमि पर सिंचाई सुविधाओं के विकास, उद्यानीकरण, वृक्षारोपण तथा भूमि विकास के कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत अनुमन्य किये गये हैं। इस संदर्भ में भारत सरकार के राजपत्र की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है (इसका अंग्रेजी रूप ही पढ़ा जाये)।

सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिकता से अटल आदर्श ग्राम के रूप में अभिज्ञानित ग्रामों में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा धारित भूमि पर उक्त संदर्भित कार्य कराये जाएं।

परियोजना में चयनित ग्रामों का विस्तृत सर्वेक्षण एवं नियोजन का कार्य कृषि विभाग के सहायक निदेशक, जलागम प्रबन्धन द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा। परियोजनाओं का आगणन कार्य विशेष के अनुसार संबंधित विभाग की अनुमोदित दरों के अनुरूप होगा। सहायक निदेशक, जलागम प्रबन्धन द्वारा तैयार किये गये ग्रामवार परियोजना सक्षम अधिकारी से तकनीकी अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी को प्रस्तुत किए जायेंगे, जिसे संबंधित जिलाधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति सहित शासन में गठित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

परियोजना का क्रियान्वयन कृषि विभाग द्वारा किया जायेगा। इस हेतु धनराशि परियोजना स्वीकृति के पश्चात संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। इन कार्यों का शत–प्रतिशत सत्यापन कृषि विभाग

Scanned by CamScanner

एवं ग्राम्य विकास विभाग के विकासखण्ड स्तरीय तकनीकी अधिकारियों द्वारा कराया जायेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ द्वारा भी उक्त परियोजनाओं का random आधार पर स्थलीय निरीक्षण सुनिश्चित कराया जायेगा।

कृपया समस्त अटल आदर्श ग्रामों में सर्वेक्षण, नियोजन एवं परियोजना स्वीकृति का कार्य प्रत्येक दशा में दिसम्बर 2009 तक पूर्ण किया जाये तथा इस योजना से मार्च 2011 तक अटल आदर्श ग्रामों को आच्छादित करना सुनिश्चित किया जाये। वर्ष 2010–11 में चयनित परियोजनाओं को संतृप्त करने हेतु यथावश्यक लेबर बजट में प्राविधानित कर लिया जाये।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्याः /8–2/रा0ग्रा0रो0गा0यो0/2009–10 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. मण्डलायुक्त कुमायुं/गढ़वाल मण्डल।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
4. कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. एन0आई0सी0, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

(ओम प्रकाश)
सचिव

Scanned by CamScanner

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 2011/पौष 24, 1932

No. 74] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 2011/PAUSA 24, 1932

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2011

का.आ. 82(अ).—केन्द्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिनांक 1 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 1(अ) के अधिक्रमण में, इसे अधिक्रमित करने से पहले किए जाने वाले अथवा नहीं किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के मामले में उक्त अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यरत अकुशल शारीरिक कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी दर को तारीख 1 जनवरी, 2011 से कॉलम (3) के तहत निर्धारित करती है, अर्थात् :—

अकुशल शारीरिक कामगारों के लिए राज्य-वार मजदूरी दर

(रु. प्रति दिन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रति दिन मजदूरी दर
(1)	(2)	(3)
1	असम	130.00 रु.
2	आंध्र प्रदेश	121.00 रु.
3	अरुणाचल प्रदेश	क्षेत्र-I (118.00 रु.)
		क्षेत्र-II (118.00 रु.)
4	बिहार	120.00 रु.
5	गुजरात	124.00 रु.
6	हरियाणा	179.00 रु.
7	हिमाचल प्रदेश	गैर-अनुसूचित क्षेत्र के लिए 120.00 रु.
		अनुसूचित क्षेत्र के लिए 150.00 रु.
8	जम्मू व कश्मीर	121.00 रु.
9	कर्नाटक	125.00 रु.
10	केरल	150.00 रु.
11	मध्य प्रदेश	122.00 रु.
12	महाराष्ट्र	127.00 रु.
13	मणिपुर	126.00 रु.
14	मेघालय	117.00 रु.
15	मिजोरम	129.00 रु.
16	नागालैंड	118.00 रु.
17	उड़ीसा	125.00 रु.
18	पंजाब	
18(क)	होशियारपुर	124.00 रु.
18(ख)	जालंधर	124.00 रु.
18(ग)	नवांशहर	124.00 रु.
18(घ)	अमृतसर	130.00 रु.
19	राजस्थान	119.00 रु.
20	सिक्किम	118.00 रु.
21	तमिलनाडु	119.00 रु.
22	त्रिपुरा	118.00 रु.
23	उत्तर प्रदेश	120.00 रु.
24	प. बंगाल	130.00 रु.
25	छत्तीसगढ़	122.00 रु.
26	झारखण्ड	120.00 रु.
27	उत्तराखण्ड	120.00 रु.
28	गोवा	138.00 रु.
29	अंडमान व निकोबार	अंडमान जिला 170.00 रु. निकोबार जिला 181.00 रु.
30	दादर व नगर हवेली	138.00 रु.
31	दमन व दीव	126.00 रु.
32	लक्षद्वीप	138.00 रु.
33	पुदुचेरी	119.00 रु.
34	चंडीगढ़	174.00 रु.

[फा. सं. जे-11011/1/2009-एमजीएनआरईजीए(भाग)]

पी. के पाधी, मुख्य आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2011

S.O. 82(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development number S.O. 1(E), dated the 1st January, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby specifies the wage rate payable to the unskilled manual workers under column (3) in respect of the State or the Union Territory mentioned in column (2) of the Schedule given below, working on various Schemes under the said Act, with effect from the 1st day of January, 2011, namely :—

State Wise Wage rate for Unskilled Manual Workers

(Rs. per Day)

S. No.	Name of State/Union Territory	Wage rate in Rs. per Day
(1)	(2)	(3)
1	Assam	Rs. 130.00
2	Andhra Pradesh	Rs. 121.00
3	Arunachal Pradesh	Area-I (Rs. 118.00) Area-II(Rs. 118.00)
4	Bihar	Rs. 120.00
5	Gujarat	Rs. 124.00
6	Haryana	Rs. 179.00
7	Himachal Pradesh	Non-scheduled Areas-Rs. 120.00 Scheduled Areas-Rs. 150.00
8	Jammu and Kashmir	Rs. 121.00
9	Karnataka	Rs. 125.00
10	Kerale	Rs. 150.00
11	Madhya Pradesh	Rs. 122.00
12	Maharashtra	Rs. 127.00
13	Manipur	Rs. 126.00
14	Meghalaya	Rs. 117.00
15	Mizoram	Rs. 129.00
16	Nagaland	Rs. 118.00
17	Orrisa	Rs. 125.00
18	Punjab	
18(a)	Hoshiarpur	Rs. 124.00
18(b)	Jalandhar	Rs. 124.00
18(c)	Nawanshar	Rs. 124.00
18(d)	Amritsar	Rs. 130.00
19	Rajasthan	Rs. 119.00
20	Sikkim	Rs. 118.00
21	Tamil Nadu	Rs. 119.00
22	Tripura	Rs. 118.00
23	Uttar Pradesh	Rs. 120.00
24	West Bengal	Rs. 130.00
25	Chhatisgarh	Rs. 122.00
26	Jharkhand	Rs. 120.00
27	Uttrakhand	Rs. 120.00
28	Goa	Rs. 138.00
29	Andaman and Nikobar	Andaman District Rs. 170.00 Nikobar District Rs. 181.00
30	Dadra and Nagar Haveli	Rs. 138.00
31	Daman & Diu	Rs. 126.00
32	Lakshadweep	Rs. 138.00
33	Puducherry	Rs. 119.00
34	Chandigarh	Rs. 174.00

[F. No. J-11011/1/2009-MGNREGA (Pt)]

P. K. PADHY, Chief Economic Advisor

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून 2005 पर प्रतिवेदन

Scanned by CamScanner

जिलों में खुलेंगे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान

मनरेगा के दिहाड़ी वालों को अब पक्की नौकरी!

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

- बैंक व निजी कंपनियों से ली जाएगी मदद, स्वरोजगार के लिए रियायती ऋण भी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में साल भर में एक सौ दिन का काम पूरा करने वाले नौजवान मजदूरों को सरकार मुफ्त प्रशिक्षण देकर स्थायी नौकरी के लायक बनाएगी। इतना ही नहीं, उन्हें सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में स्थायी नौकरी दिलाने में भी सहयोग करेगी। स्वरोजगार के लिए उन्हें रियायती दरों पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए देश के सभी जिलों में अलग तरह के प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की योजना है। प्रशिक्षण संस्थानों को संचालित करने का पूरा खर्च संबंधित बैंक अथवा संस्थान करेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों में अकुशल मजदूरों को प्रशिक्षण देकर किसी स्थायी नौकरी लायक बनाया जाएगा। इस तरह के संस्थानों को स्थापित करने का दायित्व ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग सरकारी बैंक और भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) को सौंपा गया है। इसमें सबसे पहले मनरेगा के उन युवा मजदूरों को मौका दिया जाएगा, जिन्होंने एक साल में सौ दिन काम किया होगा। इसमें 70 फीसदी बीपीएल परिवार से संबंद्ध युवाओं को लिया जाएगा।

योजना के पहले चरण में देश में 200 ऐसे संस्थानों की स्थापना की जाएगी। यहां से प्रशिक्षित युवाओं की मांग पर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत बैंकों से रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे अपना काम धंधा शुरू कर सकें। उनके स्वरोजगार को सुचारु रूप से चलाने के लिए बैंक व प्रशिक्षण संस्थान निगरानी व तकनीकी मदद भी मुहैया कराएंगे। इसमें खेती व बागवानी के साथ डेयरी, मत्स्य उत्पादन और मुर्गी पालन सिखाया जाएगा। इसी तरह उत्पाद प्रोग्राम में कढ़ाई, सिलाई, ड्रेस डिजाइनिंग, अगरबत्ती, फुटबॉल बनाने, बैग, बेकरी समेत ढेर से ऐसे उत्पादों को बनाना सिखाया जाएगा। प्रसंस्करण प्रोग्राम में दो पहिया रिपेयर, रेडियो, टीवी, मोटर रिवाइंडिंग, पंप सेट बनाने, खेती के उपकरणों की मरम्मत, सेल फोन मरम्मत, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग और बिजली के उपकरणों की मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौशल विकास के तहत ऐसे ही दर्जनों कार्यों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान भी किया जाएगा। मजदूरों को प्रशिक्षित करने के लिए स्थापित होने वाले इन प्रशिक्षण संस्थानों को संचालित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संचालन समितियां गठित की जाएंगी।

मनरेगा के दिन 100 से बढ़कर होंगे 150

- अधिकतम लोगों को रोजगार देने का प्रयास
- श्रम कानूनों में किया जाएगा संशोधन

शिमला (एजेंसियां)। केंद्र सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों को मंहगाई भत्ते की दो किस्तें व रोजगार के मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय राज्य श्रम मंत्री हरीश रावत ने शिमला प्रवास के दौरान इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए प्रयासरत है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से श्रमिकों का दूसरे राज्य व शहरों की ओर पलायन रोका जा सके। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। केंद्र देश के 94 फीसद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए मौजूदा श्रम कानून में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है। इनकी संख्या करीब 48 करोड़ है। यूपीए सरकार ठेकेदारी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए श्रमिकों और ठेकेदारों का पंजीकरण करने के साथ-साथ न्यूनतम श्रम मानक का गठन करेगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बीमा योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार से आग्रह करते हुए रावत ने कहा कि राज्य को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत नए अस्पतालों का निर्माण करना चाहिए ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके।

PPOINTMENTS, MOVEMENTS, CELEBRATIONS, HONOURS ETC.

workshop

मनरेगा के बारे में दी जानकारी

DEHRADUN : उत्तराखंड जन कारवां मंच के तत्वावधान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत राज्य स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया. इस मौके पर राज्य योजना आयोग के सदस्य एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष सच्चिदानंद भारती ने कहा कि मनरेगा कोई योजना नहीं है जो ठेकेदारी को बढ़ावा दे, बल्कि यह रोजगार सृजन करने के लिए एक सशक्त कानून है. मनरेगा के राज्य को-आर्डिनेटर एसके राजपूत ने कहा कि किसी अधिनियम व योजना को लागू करने में तकनीकी समस्याएं आती हैं.

Dehradun

THE SUNDAY TRIBUNE, CHANDIGARH, JUNE 27, 2010

Delay in payments derailing NREGA projects

Neeraj Sharma
Tribune News Service

Dehradun, June 26

Delay in payments, tyranny of Chief Development Officers and lacklustre performance by gram pradhans is turning workers against the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA), defeating the purpose of the programme that is a safety net against poverty and hunger.

In Tehri, Uttarkashi, Chamoli and Udham Singh Nagar districts, workers are turning against the scheme because they have not been paid for months. Despondent women workers are demanding compensation for the delay.

"The compensation should be paid when wages are paid beyond the mandatory limit of 15 days. It is a major issue and should be given the priority it deserves. Besides funds should be available to gram panchayats so that wage payments are not held up," said Pooran Bartwal, Coordinator, Uttarakhand Jan Karavan Manch, while sharing details of the intensive study at a workshop here today.

The workshop organised today to assess the progress of the NREGA in Uttarakhand saw representatives from NGOs, government officials and gram panchayat members thrashing out issues acting as a stumbling block in the implementation of the programme.

"Much can be done to streamline the disbursement of payments so that wage payments reach the workers. Banking facilities should be increased and post offices should have clear timelines and norms and be held accountable for them," he said.

The study also pointed a startling fact putting to pale the government's claims of providing guaranteed 100 days work to villagers. "During our study, we found out that 10 per cent of the families had only work for the period between 50-80 days, 80 per cent had worked between 25-40 days and remaining 10 per cent were employed for less than 25 days," said Lakshman Singh, member of the study group.

He reiterated that despite lack of work, none of the villagers had been paid unemployment allowance and advocated the creation of labour union of NREGA workers in the state.

The participants also rued at the lack of initiative and creativity in presenting projects at gram panchayat meetings. "No good projects are proposed at the gram panchayat meetings, leaving enough room for the Chief Development Officer (CDO) to come up with unrealistic projects not suitable for the villages. For example, check dams are required in very few areas, but these seem to be proposed at all places.

Lack of awareness about the programme is also one of the reasons for making people dependent on government officials who take them for a ride," said Kavita, a participant from Pokhar village in Bhilangana block.

The issue of lack of transparency in social audit of the programme also came up for discussion and the villagers said it was an exercise in futility and proving to be ineffective.

They also rued that the jobs were given in May and June when the villagers usually go on their farmland, and suggested that the proposals be passed well in advance and also wages be raised from Rs 100 to Rs 200.

State Coordinator AK Rajput, who was also present at the meeting, said as the programme was demand driven. Jobs would be created as per demand, and if there were hurdles in the implementation, it was mainly due to lack of staff, he added.

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून 2005 पर प्रतिवेदन

Scanned by CamScanner

21 जून 2010 दैनिक जागरण सोमवार

मनरेगाः कार्ड बनाने तक सीमित

जॉब कार्ड धारक और सौ दिन के रोजगार की स्थिति

जिला	जाबकार्डधारक	सौ दिन रोजगार
चमोली	67,365	5449
टिहरी	120974	4604
पौड़ी	103766	141
रुद्रप्रयाग	39469	04
उत्तकाशी	67989	386
कुल	3,99,563	10,504

पांच जनपदों की वर्ष 2009-10 में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा ।

जनपद	अवमुक्त धनराशि	व्यय
चमोली	4538.050 लाख	4399.880
टिहरी	7732.132	6981.810
पौड़ी	3851.400	3276.660
रुद्रप्रयाग	408.213	327.620
उत्तरकाशी	2506.547	2289.29

कुल- 1 अरब 90 करोड़ 36 लाख 3 हजार 3 सौ 3 रुपए की अवमुक्त धनराशि में से 1 अरब 72 लाख 7 हजार 5 सौ 26 रुपये खर्च किए।

- गांव के खाली हाथों को नहीं मिल रहा सौ दिन का काम
- रुद्रप्रयाग जनपद काम देने में फिसड्डी
- बेरोजगारों की आस आज तक नहीं हो सकी है पूरी

पौड़ी गढ़वाल, जागरण कार्यालयः महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना पर करोड़ों रुपये खर्च तो किए जा रहे हैं, लेकिन गांव के खाली हाथों को काम नहीं मिल पा रहा है। गढ़वाल मंडल के पांच पर्वतीय जिलों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं, तो तीन लाख से अधिक जॉब कार्डधारकों में से मात्र 10,584 लोगों को ही सौ दिन का रोजगार साल में मिला।

1 अप्रैल 2008 को जब इन पांचों जिलों में मनरेगा योजना शुरू हुई तो बेरोजगारों को लगा कि अब उन्हें दो वक्त की रोटी मिल सकेगी, लेकिन कई बेरोजगारों की यह आस आज तक अधूरी ही है। गांव के बेरोजगारों के कार्ड तो बने, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाया। गढ़वाल मंडल के चमोली, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी जनपद में 3,99,563 जाब कार्डधारक हैं।

इनमें से सिर्फ 10 हजार 584 लोगों को ही सौ दिन का रोजगार मिला है। इनमें भी जनपद चमोली ने सबसे अधिक लोगों को रोजगार दिया है, जबकि जनपद रुद्रप्रयाग सौ दिन का रोजगार देने में सबसे फिसड्डी साबित हुआ। जनपद में मात्र चार लोगों को ही सौ दिन का रोजगार मिल पाया।

प्रमुख सचिव ने दिए आदेश

पौड़ी : प्रमुख सचिव सुभाष कुमार ने मनरेगा मंडल मुख्यालय में समीक्षा बैठक में स्पष्ट आदेश दिए हैं कि मनरेगा में सौ दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, लेकिन सौ दिन का रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इसे जिलाधिकारी गंभीरता से लें।

उन्होंने कहा कि काम देने में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। इस पर तत्काल प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी।

डीएम व सीडीओ को आयुक्त ने दिए निर्देश

पौड़ी : मंडल आयुक्त अजय सिंह नबियाल ने गढ़वाल मंडल के जिलों में तैनात डीएम, व सीडीओ को आदेश दिए हैं कि मनरेगा में धनराशि का इस्तेमाल में तेजी लाने के साथ ही जॉब कार्डधारकों को सौ दिन का रोजगार दें और इसकी रिपोर्ट हर सप्ताह मंडलीय कार्यालय को प्रेषित करें।

देहरादून, 27 जून 2010

देहरादून

गारंटी छोड़ दीजिए काम की

- उत्तराखंड जन कारवां मंच की ओर से मनरेगा पर कार्यशाला
- पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने गिनाई मनरेगा के राह की मुश्किलें
- लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें मनरेगा की जानकारी देने पर जोर

देहरादून, जागरण संवाददाता : प्रदेश में मनरेगा को शुरू हुए भले ही लंबा अरसा हो गया हो, पर समस्याएं वहीं की वहीं हैं। गारंटी के बावजूद सौ दिन का रोजगार नहीं मिल रहा। बीडीओ को योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं है, जिससे वक्त पर एमबी नहीं बन पा रही। एक-एक बीडीओ के पास कई-कई ग्राम पंचायतें होने से वे ठीक से काम नहीं कर पाते। कहीं जॉब कार्ड नहीं बन रहे तो कहीं इसके लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। अब इस हाल में योजना के क्रियान्वयन को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए?

उत्तराखंड जन कारवां मंच की ओर से शनिवार को जीएमएस रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यशाला इन्हीं सवालों पर केंद्रित रही। कार्यशाला में देहरादून के अलावा चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, नैनीताल व ऊधमसिंहनगर के पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने भाग लिया। ग्रामीणों का कहना था कि ग्राम पंचायतों से योजनाओं के ठोस प्रस्ताव नहीं आ रहे। इस पर ग्रामीणों को काम तब मिलता है, जब उन्हें खेतीबाड़ी के काम से फुर्सत नहीं होती। यही नहीं, जो काम हो भी रहे हैं, वे नितांत अविवेकपूर्ण हैं। सरकार शुरू हो चुकी है और अब तक वनीकरण के लिए कार्ययोजना तैयार नहीं हो पाई। इस हाल में कैसे योजना अंजाम तक पहुंचेगी? अध्यक्षता करते हुए योजना आयोग के सदस्य सच्चिदानंद भारती ने पहाड़ में सूखते जलस्रोतों पर गहरी चिंता जताई। उनका सुझाव था कि इन्हें रिचार्ज करने के लिए मनरेगा के तहत विशेष कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए। मनरेगा के राज्य समन्वयक एके राजपूत ने बताया कि गांवों में तैनात तकनीकी कर्मचारियों व ग्रामसेवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। समाजसेवी बीरेंद्र पैन्यूली परिवारों में एक से अधिक जॉब कार्ड बनाए जाने की जरूरत बताई। कई ग्रामीणों ने आठ-आठ माह बाद भी कार्यों का भुगतान न होने की बात कही।

कार्यशाला में अवतार नेगी, लक्ष्मण नेगी, श्वेता बधानी, नागेंद्र दत्त, रणजीत जाखी, दिनेश जपाड़ा, दुर्गाप्रसाद कंसवाल आदि ने विचार रखे। संचालन जन कारवां मंच के पूरन बर्त्वाल ने किया।

जनपक्ष [illegible] 29 जून 2010

मनरेगा में गड़बड़ी पर राज्य सरकार को भेजा सुझाव प्रस्ताव

>>> रोजगार गारंटी योजना पर आयोजित सम्मेलन में बोलते हुए वक्ता।

संवाददाता, देहरादून।

उत्तराखंड जन कारवां मंच के तत्वावधान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून 2005 पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें मनरेगा योजना में हो रही समस्याओं पर विचार किया गया।

स्थानीय होटल में आयोजित इस सम्मेलन में राज्य योजना आयोग के सदस्य सच्चिदानंद भारती ने कहा कि मनरेगा ठेकेदारी को बढ़ावा देने वाली योजना नहीं है बल्कि ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए बनाया गया सशक्त कानून है जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है। मनरेगा के राज्य समन्वयक ए.के.राजपूत ने कहा कि गांवों में मनरेगा के तहत तैनात तकनीकी कर्मचारियों, ग्राम रोजगार सेवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा इसमें प्रस्तावित योजनाओं को दरकिनार करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रति त्वरित कानूनी कार्यवाही का प्राविधान भी है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जिला व राज्य स्तर पर लोकपालों की नियुक्ति की जाएगी। इससे पूर्व टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल, उधमसिंह नगर, पौड़ी आदि जनपदों से आए प्रतिनिधियों ने मनरेगा के क्रियान्वयन से जुड़े भुगतान व जॉब कार्ड नहीं बनने से मनरेगा योजना में ग्रामीणों को पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि उधमसिंहनगर, टिहरी जिलों के अधिकांश ग्राम सभा में 8 माह बाद भी कार्यों का भुगतान नहीं हुआ है और कहीं खाली बिदोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर करवाकर नगद भुगतान किया जाता है जो ग्राम प्रधान व विकास अधिकारी की मिलीभगत से किया जा रहा है।

कार्यक्रम के दौरान मनरेगा में हो रही दिक्कतों के लिए राज्य सरकार को सुझाव प्रस्ताव भी प्रेषित किया गया जिसमें माउंट वैली डेवलप एसोसिएशन के अवतार सिंह नेगी, दुर्गा प्रसाद कंसवाल, लक्ष्मण नेगी, दिनेश जपाड़, जानकी, श्वेता बधानी, राजप्रसाद, मनराज राणा, तरुण पर्यावरण संस्था के नागेन्द्र दत्त, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता विरेन्द्र पैन्यूली, रणजीत जाखी समेत विभिन्न जिलों के 100 पंचायत प्रतिनिधियों सामुदायिक संगठनों ने भाग लिया।

Scanned by CamScanner

मनरेगा अध्ययन : समाजिक संगठनों के अनुभव

राज्य में किये गये मनरेगा अध्ययन के दौरान उभरे मुख्य बिन्दु

उत्तराखण्ड जन कारवां मंच द्वारा किया गया यह अध्ययन अप्रैल से जून 2010 तक उत्तराखण्ड के पांच जिलों टिहरी, चमोली, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर तथा उत्तरकाशी के 7 विकासखण्डों भिलंगना, जोशीमठ, दशोली, बेतालघाट, खटीमा, गदरपुर तथा नौगांव की 52 पंचायतों के 224 व्यक्तियों (126 महिलाएं तथा 96 पुरूष) के साथ किया गया।

उद्देश्य

अध्ययन का उद्देश्य मनरेगा कानून के व्यवहारिक क्रियान्वयन की प्रक्रिया को समझना तथा कठिनाइयों को दूर करने हेतु पैरवी करना है।

अध्ययन क्रियाविधि

अध्ययन में उत्तराखण्ड जन कारवां मंच की सहयोगी संस्थाओं माउन्ट वैली डेवलपमेन्ट एसोसिएशन टिहरी, जनदेश चमोली, प्रयास नैनीताल तथा महिला कल्याण संस्था ऊधम सिंह नगर से सक्रिय भागीदारी निभाई है। इसके अतिरिक्त हींसर उत्तरकाशी तथा अन्य नेटवर्क से जुड़ी संस्थाओं द्वारा भी सर्वेक्षण में सहयोग प्रदान किया गया। प्रत्येक सहयोगी संस्था द्वारा 10 पंचायतों में सर्वेक्षण किया गया। प्रत्येक पंचायत में 5 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया तथा पंचायत प्रधानों से भी जानकारी प्राप्त की गई। सर्वेक्षण हेतु मजदूरों तथा पंचायत प्रधानों के लिए अलग–2 फार्मेट तैयार किये गये।

❑ मनरेगा क्रियान्वयन के सकारात्मक पहलू

* सामुदायिक एवं बेरोजगार मजदूरों के अनुसार मनरेगा एक अच्छी योजना है, जिसमें काम की गारन्टी है।

Scanned by CamScanner

- ✶ सर्वेक्षित क्षेत्र में अधिकांश मजदूरों एवं बेरोजगारों के जौबकार्ड बन चूके हैं। सर्वेक्षित 224 व्यक्तियों में से 220 व्यक्तियों के जौब कार्ड बने हैं जबकि 4 व्यक्तियों के जौब कार्ड नहीं बन पाये।
- ✶ इनमें से 73 प्रतिशत लोगों के पास जौब कार्ड अपने पास हैं। शेष 27 प्रतिशत लोगों के जौब कार्ड प्रधान, सचिव या वार्ड मेम्बर के पास है।
- ✶ मनरेगा के तहत स्थानीय लोगों से ही कार्य करवाया गया है।
- ✶ मनरेगा के तहत किये जा रहे कार्यों की मजदूरी का 95 प्रतिशत से अधिक भुगतान चैक द्वारा बैंक एकाउन्ट के माध्यम से किया जा रहा है।
- ✶ मनरेगा के क्रियान्वयन के लिये विकासखण्ड स्तर पर एक विशेष टीम का गठन हो चुका है।
- ✶ जनपद चमोली के अर्न्तगत विकासखण्ड जोशीमठ ग्राम टंगड़ी तल्ली में पूर्ण रूप से मजदूरों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध होना पाया गया है।

❑ मनरेगा क्रियान्वयन के नकारात्मक पहलू

- ✶ समुदाय में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को योजना की व्यापक जानकारी नहीं है।
- ✶ लोगों के द्वारा काम के लिये जब आवेदन किया जा रहा है तो ग्राम पंचायतों तथा विकासखण्डों के द्वारा आवेदन की प्राप्ति–रसीद मजदूर को उपलब्ध नहीं करायी जा रही है जिसके कारण अधिकांश मजदूर काम के लिये आवेदन नहीं कर रहे हैं।
- ✶ ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के लिये बनाये गये नियोजन/प्लानों को सहभागी रूप से नहीं बनाया गया है जिसमें गांव के अनुरूप होने वाले कार्यों की कमी है।
- ✶ मनरेगा के तहत जमीनी स्तर पर कराये जा रहे कार्यों में ज्यादातर कार्यों में चैकडैम के ही कार्य कराये जा रहे है जो पहाड़ के लिये तर्कसंगत नहीं है।
- ✶ मजदूरों के समय के अनुरूप भी कार्य उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
- ✶ मनरेगा के तहत हर परिवार को 100 दिन की काम की उपलब्धता कराने

Scanned by CamScanner

की जगह सर्वेक्षित लोगों में केवल 10 प्रतिशत परिवारों को ही औसतन केवल 50 से 80 दिन का काम मिल पाया है, 80 प्रतिशत परिवारों को औसतन 25 से 40 दिन का काम मिला है। बाकी 10 प्रतिशत लोगों को 25 से कम दिन का काम मिला है।

- ✶ उपस्थिति : रोजगार में सम्मिलित व्यक्तियों में से 65 प्रतिशत उपस्थिति कच्चे कागज पर ली जा रही है। शेष 35 प्रतिशत मस्टर रोल या जौब कार्ड पर ली जाती है।
- ✶ काम के दौरान दी जाने वाली साइड सुविधायें जैसे :– पानी, मेडिकल किट, क्रेच, छायाग्रह आदि सुविधाओं में से मजदूरों को पानी ही उपलब्ध कराया गया है बाकि सुविधाओं को कहीं भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- ✶ मजदूरी के भुगतान में लगने वाला समय योजना में दिये गये समय की अपेक्षा कई अधिक लग रहा है जो एक माह से लेकर आठ माह तक भी है।
- ✶ मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर किये जा रहे सामाजिक अकेंक्षण की स्पष्ट व्यवस्था तथा क्रियाविधि के होने के कारण सामाजिक अकेंक्षण अधिक प्रभावी रूप से नहीं हो पा रहा है।
- ✶ बेरोजगारी भत्ता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। बेरोजगारी भत्ता मिलता है पता है। लेकिन इसके लिये कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

❑ राज्य में मनरेगा के सफल क्रियान्वयन के लिये नागर समाज, पंचायत प्रतिनिधियों तथा मजदूरों के सुझाव

- ✶ समुदाय के स्तर पर योजना के बारे में व्यापक जागरूकता की जाय।
- ✶ मजदूरों को काम मांगने पर रसीद उपलब्ध करायी जाय।
- ✶ मनरेगा के समय के अनुसार कार्य दिया जाय।
- ✶ राज्य में दैनिक मजदूरी की दर को 100 रू. से बढाकर 150 रू. की जाय।
- ✶ मजदूरों को भुगतान समयानुसार दिया जाय।
- ✶ काम के दौरान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाय।

Scanned by CamScanner

- ★ मनरेगा में पर्यावरण एवं जल संरक्षण, भूमि सुधार, चारा विकास, महिला कार्यबोझ कम करने एवं आजीविका सम्बर्धन करने वाले कार्यों को करवाया जाना चाहिये।
- ★ सामाजिक अकेंक्षण को प्रभावी बनाने के लिये व्यापक कदम उठाया जाय।

पैरवी हेतु प्रमुख मुद्दे

❑ पंचायत प्रस्ताव एवं नियोजन प्रक्रिया की मजबूती

पंचायतों में दूरगामी समझ एवं योजना न बन पाने के कारण मनरेगा कार्य हेतु ठोस प्रस्ताव नहीं बन पा रहे हैं। अधिकांश पंचायतें प्रस्ताव तैयार करने हेतु ग्राम विकास अधिकारी पर निर्भर रहते हैं। कार्य बोझ अधिक होने तथा गांव की बैठकों की भागीदारी न मिल पाने के कारण ग्राम विकास अधिकारी भी ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे में पंचायतों में माह अगस्त–सितम्बर में अभियान के रूप में व्यापक बैठक एवं चर्चा आयोजित करने की आवश्यकता है। जिससे मनरेगा हेतु वर्ष में प्रत्येक कार्ड धारक को 100 दिन के रोजगार हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा सके।

❑ जल एवं पर्यावरण सम्बन्धी गतिविधियों को प्राथमिकता

प्रस्ताव तैयार करते समय वन क्षेत्र, चारागाह एवं सामुहिक एवं व्यक्तिगत भूमि की चराई तथा कृषि भूमि की जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु दीवाल बन्दी एवं धेरबाढ़ की योजनाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इससे चारागाहों, वन पंचायतों एवं सामुहिक भूमि पर से चराई के दबाव को कम किया जा सकता है तथा वनों एवं चारागाहों में लगभग समाप्त हो चुकी पुर्नजनन की प्रक्रिया को फिर से जीवित किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त इन्हीं क्षेत्रों में नमी एवं जल संरक्षण हेतु जल तलैयो/तालाबों का निर्माण कर वर्षा जल संरक्षण एवं जल स्रोतों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। महिलाओं के कार्य बोझ को कम करने हेतु चारा विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

❑ न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाना

हालांकि सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए मनरेगा के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी 100 रू. प्रतिदिन तय किया गया है। परन्तु पिछले वर्षों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 20 से लेकर 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। ऐसे में पूरा दिन मजदूरी करने के बावजूद परिवार के लिए दो वक्त का खाना न जुटा पाना मजदूरों के साथ अन्याय ही कहा जायेगा। अतः न्यूनतम मजदूरी को 100 रूपये से बढ़ाकर 150 रूपये प्रतिदिन किया जाना उचित रहेगा। मजदूरी की दर कम होने के कारण ग्रामवासियों द्वारा मनरेगा हेतु प्रस्ताव तैयार करने या कार्य में सम्मिलित होने में विशेष रूचि नहीं दिखाई जा रही है।

❑ योजना स्वीकृति में तेजी

योजना तैयार कर स्टीमेट बनाने तथा विकासखण्ड से जिला स्तर पर स्वीकृति हेतु भेजने तथा स्वीकृति के पश्चात वापस पहुंचने में काफी लम्बा समय लग जाता है। कई बार जिला स्तर पर प्रस्ताव सम्बन्धी फाइलों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है योजना स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल एवं तेज किया जाना चाहिए।

❑ लोगों के सुविधाजनक समय पर काम उपलब्ध करवाना

पर्वतीय ग्रामीण कृषकों के पास नवम्बर से मार्च तक के पांच महीनों में रोजगार सम्बन्धी कार्यों में भागीदारी हेतु पर्याप्त समय रहता है। जबकि इस दौरान कार्य उपलब्ध नहीं हो पाता है। दूसरी ओर भारत सरकार से योजना स्वीकृति में मार्च तक का समय लग जाता है अतः अधिकांश कार्य मार्च से जून के बीच उपलब्ध होते हैं। जबकि खेती का काम भी जोरों पर रहता है जुलाई–अगस्त में वर्षा तथा पुनः सितम्बर–अक्टूबर में खेती का काम होता है। अतः रोजगार गारन्टी योजना सम्बन्धी कार्य नवम्बर से मार्च के बीच उपलब्ध कराये जाने चाहिए। जबकि अप्रैल से जून तक किये गये कार्यों का आडिट किया जाना चाहिए तथा जुलाई से सितम्बर तक नये वर्ष की योजना हेतु बैठकों का आयोजन तथा प्रस्ताओं को अन्तिम रूप देने का कार्य होना चाहिए, ताकि अक्टूबर में पंचायतों की खुली बैठकों में प्रस्तावों को पास किया जा सके।

Scanned by CamScanner

❑ भुगतान प्रक्रिया को तेज करना

अधिकांश मजदूर वर्ग यही अपेक्षा करता है कि यदि उसे रोज का भुगतान रोज नहीं भी मिल पा रहा है तो एक से दो सप्ताह के अन्दर अवश्य भुगतान मिल जाय परन्तु इससे अधिक समय लगने पर उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भुगतान में देरी का मुख्य कारण जूनियर इन्जीनियर का समय पर एम. बी. न कर पाना है। इस प्रक्रिया को सरल कर भुगतान शीघ्र किया जाना चाहिए।

❑ सोशियल ऑडिट को सहभागी एवं पारदर्शी बनाना

सोशियल ऑडिट के बारे में अभी भी कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं बन पाई है। सोशियल ऑडिट को अधिक सहभागी एवं पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। साथ ही बाह्य आडिटर के माध्यम से सोशियल ऑडिट की प्रक्रिया का फैसिलिटेसन करवाया जाना चाहिए। सोशियल ऑडिट से प्राप्त परिणामों को सभी लोगों को बताया जाना चाहिए।

❑ बेरोजगारी भत्ता

राज्य में अभी तक किसी व्यक्ति को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाया है। इसका मुख्य कारण लोगों को कार्य हेतु पंजीकरण की प्राप्ति रसीद नहीं मिल पाना है। प्राप्ति रसीद के अभाव में 15 दिन से अधिक समय तक काम न मिल पाने के बावजूद भी लोग बेरोजगारी भत्ते हेतु आवेदन करने में असमर्थ रहते हैं। रोजगार हेतु पंजीकरण के पश्चात प्राप्ति रसीद देने को अनिवार्य किया जाय।

❑ कार्य स्थल पर सुविधाएं उपलब्ध कराना

अधिकांश गांवों में कार्य स्थल पर पानी के अतिरिक्त अन्य कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मजदूरों के लिए कानून द्वारा प्रदान किये गये अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उन्हें छायागृह, बच्चों की देख–रेख की व्यवस्था तथा प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

Scanned by CamScanner

मनरेगा की राज्य स्तरीय कार्यशाला की तैयारी बैठक
25 मार्च 2010, द्रोण होटल देहरादून
आयोजक माउॅट वैली डे. एसो. दोणी टिहरी गढ़वाल व उत्तराखण्ड जन कारॅवा मॅच देहरादून
सहयोग : एक्सन एड इण्डिया

1. पृष्टभूमि

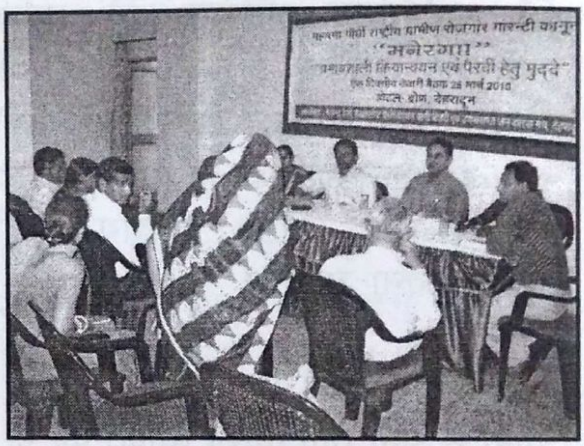

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून 2005 पूरे देश के साथ उत्तराखण्ड राज्य में 2007 से लागू है जिसके तहत राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सभी बेरोजगार महिला एवं पुरूष को 100 दिन का रोजगार देने की वचनबद्धता सुनिश्चित की गयी है लेकिन इस कानून के लागू होने के तीन साल बाद भी ग्रामीण क्षेत्रो में मजदूरो को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विगत तीन वित्तीय सालो में मनरेगा के अनुभवो वर्तमान समय में मजदूरो की मुख्य समस्याओं और मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सहयोगी संगठनो तथा उत्तराखण्ड जन कारॅवा मॅच के सहयोग से राज्य सरकार एवं जन संगठनो के साथ एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करने का निर्णय लिया गया ।

राज्य स्तरीय कार्यशाला के आयोजन से पहले राज्य में मनरेगा की वर्तमान स्थिती को जानने के लिये 25 मार्च 2010 को एक पूर्व तैयारी बैठक का आयोजन करने का निर्णय लिया गया यह बैठक उत्तराखण्ड जन कारॅवा जुड़े संगठनो के साथ की गयी।

2. बैठक का उद्देश्य

★ मनरेगा की राज्य स्तरीय कार्यशाला की रणनीती बनाना ।

Scanned by CamScanner

- ✶ राज्य सरकार के द्वारा मनरेगा पर किये जा रहे कार्यो व कानून/जारी शासनादेश के बारे में जानना ।
- ✶ मनरेगा के कियान्वयन में आ रही समस्याओं पर साझी समझ विकसित करना।

3. प्रकिया

- ✶ मनरेगा में कार्यरत राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा ।
- ✶ राज्य अलग–अलग जनपदो में कार्यरत साथी संगठनो के मरनेगा पर किये गये कार्यो के आधार अनुभवों का आदान–प्रदान।
- ✶ समूह चर्चा के द्वारा भावी रणनीति का नियोजन ।

4. तैयारी बैठक की आख्या

प्रथम सत्र 25 मार्च 2010

बैठक का शुभारम्भ उत्तराखण्ड जन कारॅवा के राज्य समन्वयक श्री पूरन बर्त्वाल जी के द्वारा सभी प्रतिभागियों के स्वागत व मनरेगा राज्य प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन के राज्य समन्वयक श्री ए. के. राजपूत के स्वागत से किया गया उसके बाद सभी उपस्थित प्रतिभागियों के द्वारा अपना और अपने संगठन का विस्तृत परिचय दिया गया ।

कार्यशाला की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुये उत्तराखण्ड जन कारॅवा के सदस्य और माउॅट वैली के कार्यकम समन्वयक दुर्गा प्रसाद के द्वारा कार्यशाला की पृष्टभूमि से अवगत कराते हुये कहा कि उत्तराखण्ड जन कारॅवा मॅच स्वैच्छिक संगठनो और सामुदायिक संगठनो का एक गठबन्धन है जो राज्य स्तर पर रोजगार के अधिकार, विस्थापन से प्रभावित लोगो के हितो की पैरवी तथा महिला एवं शिक्षा के अधिकार पर मुख्य रूप से कार्य कर रहा है। मनरेगा के लिये भी उत्तराखण्ड जन कारॅवा मॅच

Scanned by CamScanner

के द्वारा जो कार्य किया गया वह इस प्रकार है :–

- ✶ मनरेगा कानून को पूरे देश में लागू करने के लिये सन 2003 से 2005 तक केन्द्र सरकार पर हस्ताक्षर अभियान एवं जन्तर–मन्तर पर धरना देकर दबाव बनाया गया ।
- ✶ सन 2005 में कानून लागू होने के बाद से सन 2007 तक स्वैच्छिक संगठनो के साथ समझ विकसित करने के कार्य किये गये ।
- ✶ सन 2007 से 2009 तक उत्तराखण्ड जन कारॅवा मॅच से जुड़े संगठनो ने साथी संगठनो के द्वारा समुदाय स्तर पर मजदूरो के जौब कार्ड बनाने से लेकर जागरूकता और काम के लिये आवेदन कराने कार्य किया गया जिससे मिले अनुभवों और सीखो के आधार पर अब 2010 में राज्य स्तरीय कार्यशाला करने का निर्णय लिया गया है ।

कार्यक्रम को आगे बढाते हुये जनदेश चमोली से आये नरेगा फेलो ने चमोली के अनुभव के आधार पर कहा कि चमोली में कई ग्राम पंचायत ऐसी है जहां पर 08 माह से लोगो का भुगतान नही किया गया है इसी जनदेश से बीद्या जीना ने भी नरेगा पर कई समस्याओं को रखा जो मुख्य समस्यायें थी वह इस प्रकार है :–

1. लोगो को आवेदन करने के लिये अभी भी ग्राम पंचायत प्रधान पर निर्भर रहना पड़ता है।
2. चमोली दशोली विकासखण्ड में एक ग्राम पंचायत में विना काम के भुगतान किया गया ।
3. महिलाओं को कार्य पर आने के लिये रोक दिया जा रहा है ।
4. महिलाओं को कहा कि तुम कुशल कारीगर नहीं है और यदि आप नरेगा में कार्य करती है तो कुशल कारीगरों का भुगतान तुम्हे अपनी मजदूरी से करना पड़ेगा और महिलायें कुशल मजदूरो का भुगतान अपनी मजदूरी से कर रही है।

इसी प्रकार नैनीताल व उधमसिंह नगर से आये प्रतिभागी आशा ने नरेगा में मशीनों के द्वारा कराये जा रहे कार्यो के मुद्दे को उठाये तथा सुन्दरमणि टिहरी ने काम समय पर उपलब्ध न कराने तथा बेरोजगारी भत्ता का भी न दिये जाने के मुद्दे को उठाया।

इसके बाद राज्य सरकार के नरेगा राज्य प्रकोष्ठ के राज्य समन्वयक श्री ए. के.

Scanned by CamScanner

राजपूत द्वारा सभी उपस्थित प्रतिभागियों को इस प्रकार अवगत कराया गया :–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कानून पंचायतों के माध्यम से कियान्वित की जाने वाली भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो पंचायतों को अपने कार्यक्षेत्र में रहने वाले मजदूरों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजना है। इससे पंचायते अपने ढांचागत सुविधाएं जैसे गूल, टैंक, वनीकरण आदि तैयार कर सकती हैं। दूसरे शब्दों में यह योजना एक वरदान के समान है।

मनरेगा कानून राज्य के सभी जिलो में लागू है । मनरेगा जब 2006 में लागू हो रहा था तब केवल बी.पी. एल. परिवारों के लिये लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया था लेकिन उत्तराखण्ड की ओर से केन्द्र स्तर पर सभी के लिये रोजगारी देने की पैरवी की गयी जो स्वीकृत होकर आज देश के सभी राज्यो में यह नियम लागू हो गया है।

रोजगार

- ✶ मनरेगा के तहत राज्य में एक परिवार को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार हर स्थिति में उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार वचनबद्ध है जो मजदूर के द्वारा काम के लिये आवेदन करने के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना है ।
- ✶ मनरेगा के तहत किये जाने वाले कार्यो के लिये कम से कम 60 प्रतिशत मजदूरी और अधिकतम 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय की जाती है, जिसके लिये जो मजदूर का श्रमांश है उसको केन्द्र सरकार व्यय करती है और सामग्री पर होने वाले व्यय 40 प्रतिशत का 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार के द्वारा और 25 प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है इस प्रकार केन्द्र का 90 प्रतिशत और राज्य सरकार का 10 प्रतिशत होता है ।

Scanned by CamScanner

- ✶ यह योजना मांग पर आधारित है अर्थात लोग सरकार से 100 दिन का काम प्रति परिवार तक मांग सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि मांगने पर लोगों को काम अवश्य दे। इसमें धन की कोई कमी नही है।

पंजीकरण

- ✶ रोजगार मांगने के लिए लोगों को काम हेतु पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के 15 दिन के अन्दर 5 किमी. के अन्दर काम मिलेगा पंजीकरण करने पर कार्यक्रम अधिकारी से रसीद लेनी चाहिए। पंजीकृत व्यक्ति का फोटो ब्लाक द्वारा लिया जायेगा। (इसके लिए 6 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय ब्लाक को दिया जाता है)
- ✶ पूरी योजना का 90 प्रतिशत खर्चा भारत सरकार (श्रम का 100 प्रतिशत तथा सामाग्री का 75 प्रतिशत) द्वारा दिया जाता है तथा 10 प्रतिशत राज्य द्वारा (सामाग्री का 25 प्रतिशत)
- ✶ पंजीकरण के 15 दिन के अन्दर काम न दिये जाने पर पंजीकृत व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता का हकदार हो जाता है। बेरोजगारी भत्ता बी. डी. ओ. की जिम्मेदारी है।
- ✶ प्रत्येक दिन 9 घन्टे में से 8 घन्टे कार्य तथा 1 घन्टे का आराम मिलेगा।
- ✶ कार्य स्थल पर पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, छाया हेतु व्यवस्था तथा बच्चों की देखरेख की व्यवस्था जैसी सुविधाएं आवश्यक हैं।
- ✶ काम की गति को ठीक रखने हेतु पीस दर पर भी काम कराया जा सकता है। राज्य में सभी कार्यो की एम. बी पीस रेट से की जा रही है और एम. बी के आधार पर भुगतान किया जा रहा है ।
- ✶ यह ध्यान रखना है कि 100 रू. मजदूरी भुगतान करने पर उतना ही काम अवश्य पूरा हो जाय तथा किये गये काम की गुणवत्ता भी ठीक हो।

भुगतान

- ✶ मजदूरी के रूप में खाते में चढ़ाये गये पैसों में से यदि प्रधान या कोई कर्मचारी कुछ पैसे वापस मांगता है तो यह सरासर गलत एवं भ्रष्टाचार है। मजदूरों को इसकी शिकायत करनी चाहिए।

Scanned by CamScanner

- ✶ यदि किसी के खाते में किये गये कार्य दिवसों से अधिक दिनों की मजदूरी चढ़ाई जाती है तथा उनसे बाकी पैसा वापस लौटाने के लिये कहा जाता है, तो यह गलत है इसकी भी शिकायत की जानी चाहिए।
- ✶ प्रधान या कर्मचारियों द्वारा काम देने हेतु मना करने, भुगतान में गड़बड़ी या किसी भी अन्य प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार किये जाने पर कानून का उलंघन माना जायेगा तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए जिलाधिकारी या राज्य प्रकोष्ठ में शिकायत की जा सकती है।
- ✶ महिला या बुजुर्ग को भी मजदूरी का भुगतान समान अर्थात 100 रू. प्रतिदिन किया जायेगा। यदि महिलाओं से पैसा वापस करने को कहा जाता है तो इसकी शिकायत करें।

रोजगार योजना

- ✶ कानून के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखकर एक रोजगार योजना तैयार की जायेगी। 2 अक्टूबर की खुली बैठक में इस पर चर्चा कर इसको अन्तिम रूप दिया जायेगा तथा 17 अक्टूबर यह योजना क्षेत्र पंचायत में जमा की जायेगी।
- ✶ विकासखण्ड स्तर पर मानको के आधार पर परीक्षण के पश्चात पूरे ब्लाक की ग्राम पंचायत वार योजना तैयार की जायेगी तथा नवम्बर अन्तिम सप्ताह तक यह योजना जिला विकास अधिकारी को जमा की जायेगी।
- ✶ जनपद स्तर पर दिसम्बर द्वितीय सप्ताह तक इसमें सुधार किया जायेगा तथा जिला पंचायत से स्वीकृति के पश्चात 31 दिसम्बर तक इसे शासन को भेजा जायेगा।

गतिविधियां एवं कार्य

- ✶ कानून के अन्तगत दी गई गतिविधियों तथा कार्यो के दायरे में गांव में सभी तरह के कार्य किये जा सकते हैं। केवल उनका प्रस्तुतीकरण भूमि सुधार जल संग्रहण, जल संरक्षण, अकाल से बचाव, सिंचाई नहरें, जल स्रोतों का नवीनीकरण, भूमि विकास, बाढ़ नियन्त्रण तथा ग्रामीण इलाको को जोड़ने के लिए पक्की सड़को का निर्माण आदि के दायरे में होना चाहिए।

Scanned by CamScanner

- ✶ कार्य स्थल पर सब्बल, फावड़े, तसले आदि तथा बोर्ड का खर्चा परियोजना से दिया जाना है न कि मजदूरो से।
- ✶ राज्य में अभी मनरेगा के मानको संशोधन करके 02 है. से कम जमीन वाले किसानो के खेतो में भूमि सुधार का कार्य किया जाता है ।

बीमा

- ✶ बी. पी. एल. कार्ड धारकों का जनश्री बीमा सरकार द्वारा किया जाता है जिसमें 18 से 59 वर्ष के उम्र के मजदूरों का 100 रू. राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।
- ✶ काम करते समय किसी भी व्यक्ति को चोट लगने पर उसका इलाज अस्पताल द्वारा मुफ्त किया जायेगा।
- ✶ काम करते वक्त चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज पूरा होने तक आधे दिन की मजदूरी का भुगतान किया जायेगा।
- ✶ कार्य करते समय चोट लगने से अपंगता होने या मृत्यु हो जाने पर 25 हजार रूपये का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा।

सामाजिक अंवेक्षण (सोशियल ऑडिट)

- ✶ साल में दो बार सोशियल ऑडिट होगा। अप्रैल से सोसियल ऑडिट की तारीखे निकाली जायेगी उनमें राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा भी औचक भ्रमण किया जाता है। सोशियल ऑडिट में रोजगार योजना मस्टरोल तथा अन्य सभी दस्तावेज सार्वजनिक किये जाते हैं तथा इसको कोई भी देख सकता है। अप्रैल से जून के बीच सोशियल ऑडिट की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। यह भी प्रयास किया जा रहा है कि सोशियल ऑडिट किसी बाह्य संस्था के माध्यम से कराया जाय।
- ✶ ग्रामीण विकास मन्त्री (भारत सरकार) सोशियल ऑडिट की समीक्षा करतें हैं

शिकायतें

- ✶ किसी भी प्रकार की शिकायतें कार्यक्रम अधिकारी तथा बी. डी.ओ.

Scanned by CamScanner

कार्यालय में शिकायत रजिस्टर में दर्ज कराने पर 7 दिन के अन्दर उसका निपटारा किया जाता है।

दूसरा सत्र

पहले सत्र की समीक्षा के साथ उपस्थित प्रतिभागियों के द्वारा उत्तराखण्ड जन कारॅवा मॅच के द्वारा मनरेगा पर की जाने वाली राज्य स्तरीय कार्यशाला की कार्ययोजना की रणनीति पर चर्चा की गयी जो इस प्रकार है :–

1. मनरेगा की स्थिति का अध्ययन के लिये अधिक से अधिक ग्राम पंचायतो का अध्ययन किया जाय ।
2. जो भी टेस्ट मनी राज्य स्तर कार्यशला में प्रस्तुत की जायेगी वह स्पष्ट और तथ्यो व सबूत के साथ होनी चाहिये ।
3. टेस्ट मनी को तैयार करने के लिये माउॅट वैली डे. एसो. की ओर से एक प्रश्नावली तैयार की गयी इसी के आधार पर टेस्ट मनी तैयार की जायेगी।

इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुये टेस्ट मनी के लिये तैयार प्रश्नावली का सभी प्रतिभागियों के साथ चर्चा करके पुनः संशोधन कर आगे की कार्ययोजना बनायी गयी ।

5. भावी कार्ययोजना

क्र. स.	कार्यक्रम गतिविधि	कार्य पूर्ण करने की अन्तिम तिथि
01.	साथी संगठनो को राज्य संसाधन केन्द्र से टेस्ट मनी हेतु प्रश्नावली प्रपत्र भेजना	31 मार्च 2010
02.	साथी संगठनो के द्वारा राज्य संसाधन केन्द्र को समुदाय ओर पंचायत से टेस्ट मनी प्रश्नावली प्रपत्र भर कर व संकलन कर भेजना	25 अप्रैल 2010
03	मनरेगा पर राज्य स्तरीय कार्यशाला	30 जून 2010 तक

अन्त में सभी के धन्यवाद के साथ कार्यशाला का समापन किया गया

Scanned by CamScanner

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून मनरेगा पर राज्य स्तरीय कार्यशाला

26 जून 2010, स्थान – होटल कमला पैलैस देहरादून

आयोजक : उत्तराखण्ड जन कारॅवा मॅच देहरादून, सहयोगः माउॅट वैली डे. एसो. दोणी टिहरी गढवाल व एक्सन एड इण्डिया

कार्यशाला की पृष्टभूमि

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून 2005 पूरे देश के साथ उत्तराखण्ड राज्य में 2007 से लागू है जिसके तहत राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सभी बेरोजगार महिला एवं पुरूष को 100 दिन का रोजगार देने की वचनबद्धता सुनिश्चित की गयी है लेकिन इस कानून के लागू होने के तीन साल बाद भी ग्रामीण क्षेत्रो में मजदूरो को तमाम समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है जिसके लिये विगत तीन वित्तीय सालो में मनरेगा के अनुभवो व मजदूरो की वर्तमान समय में मुख्य समस्याओं और मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सहयोगी संगठनो तथा उत्तराखण्ड जन कारॅवा मॅच के सहयोग से राज्य सरकार एवं जन संगठनो के साथ एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करने का निर्णय लिया गया ।

उपरोक्त राज्य स्तरीय कार्यशाला के आयोजन से पहले राज्य में मनरेगा की वर्तमान स्थिति को जानने के लिये एक पूर्व तैयारी बैठक 25 मार्च 2010 को उत्तराखण्ड जन

Scanned by CamScanner

कारॅवा जुड़े संगठनो के साथ होटल द्रोण में आयोजित की गयी। बैठक के बाद उभर कर आया कि सभी संगठनो को अपने कार्यक्षेत्र में समुदाय एवं श्रमिको के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता है। जिसके बाद श्रमिको और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ राज्य के पॉच जिलो के सात विकासखण्ड के 52 ग्राम पंचायतो में 10 –10 श्रमिको के साथ अध्ययन करने के बाद मनरेगा की दिशा और दशा पर एक दस्तावेज बनाया गया। अध्ययन से मनरेगा की स्थिति पर उभरे मुद्दो पर समझ बनाने के लिये 26 जून 2010 को राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया । संलग्नक–1 प्रतिभागियों की सूची

कार्यशाला का उद्देश्य

- ✶ मनरेगा कानून के व्यवहारिक कियान्वयन की प्रकिया पर आपसी समझ बनाने के साथ, कठिनाइयों को दूर करने हेतु शासन /प्रशासन स्तर पर पैरवी करना
- ✶ राज्य सरकार के द्वारा मनरेगा पर किये जा रहे कार्यो व कानूनो/जारी शासनादेश के बारे में जानना ।

प्रतिभागियों का विवरण

कार्यशाला मे सरकारी प्रतिनिधि, सामुदायिक संगठनो के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठनो के प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि सहित कुल 116 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

सरकारी प्रतिनिधि	सामुदायिक संगठनो के प्रतिनिधि	गैर सरकारी संगठनो के प्रतिनिधि	पंचायत प्रतिनिधि	मीडिया प्रतिनिधि	कुल
03	34	30	20	29	116

कार्यशाला की प्रकिया

- ✶ राज्य में मनरेगा पर किये अध्ययन को मीडिया, शासन/प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तुतीकरण किया गया।

Scanned by CamScanner

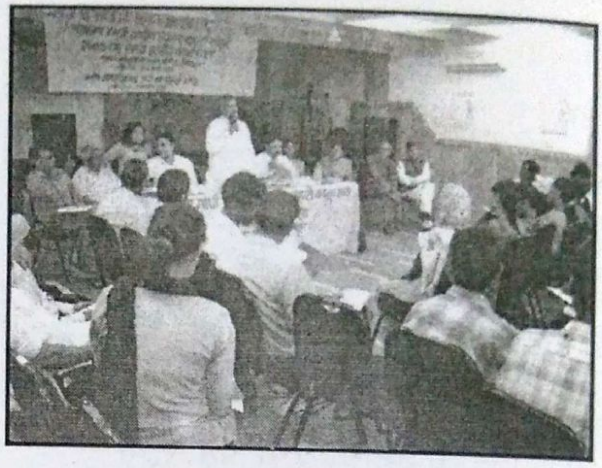

- ✶ मनरेगा में कार्यरत राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा ।
- ✶ राज्य के अलग –अलग जनपदो में कार्यरत साथी संगठनो के मरनेगा पर किये गये कार्यो, अनुभवों का आदान –प्रदान करना ।
- ✶ समूह चर्चा के द्वारा मनरेगा के प्रभावी कियान्वयन के लिये भावी रणनीती का नियोजन।
- ✶ मनरेगा पर उभरी समस्याओं को सुनने के लिये एक पैनल बनाया गया जिसमें राज्य योजना आयोग व प्रमुख समाजसेवी श्री सच्चिदानन्द भारती जी, मनरेगा के राज्य प्रकोष्ठ के समन्वयक श्री ए. के . राजपूत तथा सम्बन्ध नेटवर्क के रोबिन फुटार्टो, श्री विरेन्द्र पैन्यूली थे तथा पैनल का संचालन उत्तराखण्ड जन कारॅवा मॅच के राज्य समन्वयक पूरन वर्त्वाल जी के द्वारा किया गया।

कार्यशाला की आख्या

प्रथम सत्र कार्यशाला का शुभारम्भ उत्तराखण्ड जन कारॅवा के राज्य समन्वयक श्री पूरन बर्त्वाल जी के द्वारा सभी प्रतिभागियों के स्वागत से किया गया तथा प्रथम सत्र के पैनल हेतु वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री विरेन्द्र पैन्यूली, रोबन फुर्टाटो, उत्तरकाशी नौगॉव से आये पंचायत प्रतिनिधि ग्राम पंचायत प्रधान छमरोटा श्री राम प्रसाद सेमवाल, भिलंगना सखी संगठन टिहरी की सचिव श्री बीरा देबी, फते सिंह राणा, चमोली के हुकम सिंह फस्वार्ण को मॅच पर आमन्त्रित किया गया, उसके बाद सभी उपस्थित प्रतिभागियों के द्वारा अपना और अपने संगठन का परिचय दिया गया।

Scanned by CamScanner

कार्यवाही को आगे बढाते हुये श्री पूरन बर्त्वाल जी के द्वारा कार्यशाला की पृष्टभूमि व उद्देश्य से अवगत कराते हुये कहा कि उत्तराखण्ड जन कारॅवा मॅच एक स्वैच्छिक संगठनो और सामुदायिक संगठनो का एक गठबन्धन है जो राज्य स्तर पर रोजगार के अधिकार, विस्थापन से प्रभावित लोगो के हितो की पैरवी तथा महिला एवं शिक्षा के अधिकार पर मुख्य रूप से कार्य कर रहा है और पिछले तीन सालो से मनरेगा के प्रभावी कियान्वयन के लिये ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक जनजागरण कार्यक्रम के साथ कियान्वयन के दौरान आ रही बाधाओं पर दूर करने के लिये पैरवी कर रहा है।

अध्ययन का प्रस्तुतीकरण

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुये माउॅट वैली के कार्यक्रम समन्वयक दुर्गा प्रसाद के द्वारा मनरेगा की स्थिति पर किये गये अध्ययन के मुख्य सारांश का प्रस्तुतीकरण किया।

टेस्टमनी

मनरेगा पर किये गये अध्ययन के दौरान समुदाय स्तर पर मिली मुख्य टेस्टमनियों के द्वारा मनरेगा पर अपने अनुभवों का आदान –प्रदान किया गया जो इस प्रकार है ।

Scanned by CamScanner

टेस्टमनी का नाम	जनपद का नाम	मनरेगा पर मुख्य समस्या
कमला देबी	ग्राम छैली, वि खण्ड भिलंगना, टिहरी गढवाल	मनरेगा के तहत वर्ष 2009 में एक बार व 2010 में दो बार काम के लिये आवेदन किया है लेकिन हर बार हमें धरना प्रदर्शन के बाद से कार्य मिला। कानून के अनुसार कभी आसानी से कार्य उपलब्ध नहीं हुआ है ।
गौफरी देबी	ग्राम त्रिकोट वि खण्ड भिलंगना, टिहरी गढवाल	मेरे द्वारा मनरेगा में पिछले साल एक दिन कार्य किया गया और जिसका भुगतान मेरे को रू. 73 दिया गया जब कि मेरे खाते में रू 700 का भुगतान किया गया है बाकि पेसे प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के द्वारा वापस लिये गये है ।
गौविन्द लाल	ग्राम चडोली, वि खण्ड भिलंगना, टिहरी गढवाल	मनरेगा में बिना काम किये मेरे नाम से मस्टरोल भरा गया और बैंक खाते से मजदूरी उडरोल की गयी ऐसा केवल सहकारी मिनी बैंको में हो रहा है मजदूरो के खाते स्टेट बैक में खोले जाय ।
मदन सिंह पंवार	ग्राम मेन्डू सिन्दवाल गॉव वि खण्ड भिलंगना, टिहरी गढवाल	ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम सभा की बैठकों में नहीं आते हैं। गांव से विकास खण्ड की दूरी 35 कि.मी. है जब ग्राम पंचायत से विकासखण्ड कार्यालय में आते है वहां पर पहुचने के बाद भी ग्राम विकास अधिकारी नहीं मिल पाता हैं जिससे लोगो के भुगतान आदि में महिनो लग रहे है। मनरेगा के तहत जो भी कार्य होता है सामग्री के भुगतान की धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी अपने नाम से आहरित करता हैं जिससे ग्राम पंचायत में पारदर्शिता का अभाव बना रहता है ।
लक्ष्मण सिंह नेगी	जोशीमठ चमोली	विभाग के पास जल संरक्षण और चारा विकास, उद्यानीकरण जैसे कार्यो के लिये इस्टमेटो का अभाव है जिससे लोगो की अपेक्षानुसार कार्य नहीं हो पा रहे है ।
अवतार सिंह नेगी	ग्राम दोणी पल्ली, वि खण्ड भिलंगना टिहरी गढवाल	मनरेगा में किये जा रहे कार्यो के लिये खरीदी जा सामग्री का अधिकतर भुगतान सम्बन्धित फर्म को नकद किया जा रहा है तथा 80 प्रतिशत कार्य चैकडैम के हो रहे है जिनकी गुणवत्ता भी घटिया है जनपद टिहरी में वित्तिय वर्ष 2007–2008 से 2009–2010 तक तीन वर्षो में 25469 चैकडैम बने है जबकि पेयजल समस्या से परेशान गॉवो में जल संरक्षण के लिये मात्र 6142 चहलो का निमार्ण किया गया है 79 पेयजल निमार्ण कार्य कराये गये है ।
कमला देवी	उधम सिंह नगर	मनरेगा कार्य के तहत मेरे गॉव में एक मछली तालाब बनाया था जिसका अभी तक आधा भुगतान नकद किया गया है और आधा भुगतान के लिए विकास खण्ड के कर्मचारी कहते हैं कि बजट समाप्त हो गया है जिसके कारण नहीं हो पायेगा।
नागेन्द्र दत्त	तरूण पर्यावरण विज्ञान संस्थान डुन्डा उत्तरकाशी	जनपद टिहरी के प्रतापनगर विकासखण्ड के अर्न्तगत ग्राम पंचायत गढ सिन्दवाल गॉव में मनरेगा के तहत कार्य का तीन सालो से भुगतान नहीं हुआ है ।

Scanned by CamScanner

कार्यशाला के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों के वक्तव्य

श्रीमती कमला देवी, ग्राम छैली भिलंग टिहरी गढवाल : श्रीमती कमला देवी का कहना था कि ग्राम छैली की महिलायें जब मनरेगा के अन्तर्गत कार्य के लिए आवेदन के लिए खण्ड विकास कार्यालय गयी तो ग्राम पंचायत अधिकारी और खण्ड विकास के कर्मचारियों ने उन्हें आवेदन की प्राप्ति रसीद नहीं दी। मनरेगा को 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं लेकिन अभी तक कामगारों को 100 दिन का रोजगार भी प्राप्त नहीं हुआ है, साथ ही कामगारों के जॉब कार्ड नहीं भरे जा रहे हैं ।

श्री हुक्म सिंह फरस्वाण, उर्गम जनपद चमोली : श्री फरस्वाण का कहना था कि हमारे यहां पर गांव स्तर पर प्रस्ताव बनाये जाते हैं और हमने प्रस्ताव देकर वृक्षारोपण का कार्य किया हैं जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है।

श्रीमती चम्पा देवी, नैनीताल : हमने मौखिक रूप से मनरेगा के तहत कार्य की मांग की तो हमे कार्य मिला है लेकिन कतिपय पंचायतों में मनरेगा के तहत कार्य नहीं हुआ है और साथ ही जॉब कार्डों में उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है।

श्री लक्ष्मण नेगी, उर्गम, जनदेश, चमोली :– श्री नेगी ने कहा कि मनरेगा के तहत जो अवर अभियन्ता भर्ती किये गये हैं उन्हें खाल और चहल का ज्ञान नहीं हैं जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाय। साथ ही गांव स्तर पर 10–10 लोगों का समूह बना कर रोजगार के लिए आवेदन किया जाय। ताकि लोगों को रोजगार मिल सके।

Scanned by CamScanner

श्री फते सिंह राणा, हिन्दाव टिहरी गढवाल : श्री राणा ने कहा कि जब 22 करोड़ 71 लाख टिहरी जिले के लिए आवंटित है तो क्यो जिले में मनरेगा के कार्यों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। जबकि विकासखण्ड के कर्मचारी कह रहे है कि विकासखण्ड में मनरेगा के तहत किये गये कार्यो के भुगतान के लिये धनराशि उपलब्ध नहीं है, शासन का कहना है कि मनरेगा की धनराशि खर्च नहीं हो पा रही है।

श्रीमती बीरा देवी, आली, ग्यारह गांव, टिहरी गढवाल : श्रीमती बीरा देवी ने कहा कि भिलंगना ब्लाक में पंचायत प्रतिनिधियों में 50 प्रतिशत महिलायें हैं जिसमें से मात्र 4 या 5 महिलायें ही स्वतन्त्र रूप से खण्ड विकास कार्यालय में जा पाती हैं। अन्य सभी महिला पंचायत प्रतिनिधि अपने पुरूष सहयोगियों के साथ ही कार्यालयों में जाती हैं।

श्रीमती मीरा कैंतुरा, सचिव मैत्री संस्था रूद्र प्रयाग : श्रीमती कैंन्तुरा ने कहा कि राज्य स्तर पर मनरेगा के कार्यों के सफल संचालन, सहयोग, मल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए।

श्री सचिदानन्द भारती, राज्य योजना आयोग सदस्य : श्री भारती ने अपने वक्तव्यों में कहा कि मनरेगा एक कानून है जहां लागू नहीं होता वहां दण्ड का प्राविधान है। यह हमारा हक है। हमें संगठित होकर इसका लाभ उठाना चाहिए।

श्री ए.के. राजपूत, राज्य समन्वयक मनरेगा : श्री राजपूत ने कार्यशाला की सभी शिकायतों और सुझावों को सुनने के पश्चात अपने वक्तव्य में कहा कि मनरेगा की सभी शिकायतों के निराकरण एवं सुचारू रूप से संचालन तथा शिकायतो के लिए जनपद स्तर पर एक लोक पाल की नियुक्ति की जा रही है। साथ ही समय पर कामगारों का भुगतान किया जा सके इसके लिए बैंकों की नई ब्रांचों को खोला जा रहा है और डाक विभाग को अग्रिम धनराशि भी दी गई है जिससे विभाग धनराशि की कमी का बहाना न बना सके। साथ ही श्री राजपूत ने कहा कि यदि तब भी कामगारों की शिकायतें रहती हैं तो राज्य सरकार ने मनरेगा की शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर खोल रखे हैं जिन पर कोई भी कामगार कार्यालय समय में वार्ता कर सकता हैं।

राज्य का टोल फ्री नम्बर – 18001804120

Scanned by CamScanner

जनपद टिहरी का टोल फ्री नम्बर – 18001804112
जनपद पौड़ी का टोल फ्री नम्बर –
जनपद उत्तरकाशी का टोल फ्री नम्बर –

कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों द्वारा निम्न सुझाव आये

- ✶ गांव स्तर पर सूक्ष्म नियोजन कर समस्याओं के अनुसार प्रस्ताव बना कर विकास खण्ड कार्यालय को प्रस्तुत किये जायें।
- ✶ मनरेगा के सात चरणों के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायें।
- ✶ कामगारो को नियत समय पर कार्य मिलना चाहिए।
- ✶ जिस समय खेती का कार्य अधिक होता है उस समय कार्य नहीं मिलना चाहिए
- ✶ सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाय।
- ✶ ग्राम्य विकास के अधिकारी एवं कर्मचारी गांव स्तर पर जाकर कार्य की प्रगति देख कर समय पर भुगतान करवायें।
- ✶ मनरेगा के कार्यो की देखरेख व क्रियान्वयन के लिये स्थानीय कर्मचारी न रहे।
- ✶ कुशल और अकुशल कामगारों की मजदूरी अलग–अलग होनी चाहिए।
- ✶ कम से कम 200 दिन का रोजगार मिलना चाहिए और मजदूरी रू0 200.00 होनी चाहिए।

मांग पत्र

❑ पंचायतों में प्रस्ताव तथा रोजगार योजना बनाने की प्रक्रिया को मजबूत किया जाय।

अध्ययन से प्राप्त सूचनाओं तथा मीडिया रिर्पोटो के अनुसार राज्य स्तर पर मनरेगा हेतु उपलब्ध धनराशि का केवल 50 प्रतिशत ही उपयोग हो पाया है। राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार भी केवल 50 प्रतिशत जौबकार्ड धारको द्वारा ही रोजगार हेतु आवेदन किया गया है। इसका मुख्य कारण वार्ड स्तर तथा पंचायत स्तर पर बैठकों का अभाव है। बैठकों के न हो पाने के कारण लम्बे समय हेतु योजनाएं नही निकल पाती हैं। फलस्वरूप मनरेगा प्रस्तावों हेतु प्रधानों की निर्भरता ग्राम विकास अधिकारी पर बढ़ती जा रही है। गांव की स्पष्ट समझ के अभाव में ग्राम

Scanned by CamScanner

विकास अधिकारी द्वारा भी चैकडैम निर्माण जैसी सामान्य योजनाएं ही सुझाई जाती हैं। अतः माह अगस्त सितम्बर में ग्राम स्तरीय बैठकों के आयोजन का एक अभियान चलाया जाना चाहिए। जहां आवश्यक हो पंचायतों को सहयोग प्रदान करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाय तथा प्रत्येक जौब कार्ड धारक को 100 दिन का रोजगार प्रदान करने हेतु बृहद रोजगार योजना तैयार की जाय।

❑ पर्यावरण एवं जल संरक्षण सम्बन्धी कार्यो को प्राथमिकता दी जाय।

मौसम परिवर्तन के बढ़ते हुए प्रभावों तथा जल के बढ़ते हुए संकट को घ्यान में रखते हुए पूरे देश में विशेषतौर पर उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य में पर्यावरण एवं जल संरक्षण जैसे कार्यो को बढ़ाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में इसकी पर्याप्त सम्भावनाएं एवं संसाधन उपलब्ध हैं। अतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में इन कार्यो को प्राथमिकता दी जाय।

❑ प्रकियाओं में सुधार कर भुगतान में लगने वाले समय को कम किया जाय

मनरेगा के कियान्वयन में कई प्रकार की प्रकियात्मक खामियां है जैसे रोजगार हेतु आवेदन किये जाने पर प्राप्ति रसीद न दिया जाना, कार्य स्थल पर मस्टरोल के स्थान पर कच्चे कागज या डायरी में उपस्थिति लिया जाना। जूनियर इंजीनियर की उपलब्धता न होने पर किये गये कार्य की मापी (एम. बी.) में लम्बा समय लगना तथा भुगतान में देरी होना। उपरोक्त प्रकियात्मक खामियों में सुधार किया जाय तथा भुगतान में लगने वाले समय को कम किया जाय।

❑ न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया जाय

पिछले दो वर्षो में आवश्यक वस्तुओं के दाम 20 से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। ऐसी परिस्थितियों में एक मजदूर दिन भर काम करने के पश्चात भी अपने परिवार के लिए दो वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता है। जोकि सरासर अन्याय है। अतः न्यूनतम मजदूरी की दर को बढ़ाकर 200 रूपये किया जाय।

Scanned by CamScanner

❑ वार्षिक समय सारणी में सुधार

अक्टूबर माह में खुली बैठकों के पश्चात नवम्बर अन्तिम सप्ताह तक विकासखण्ड स्तर ग्राम पंचायत वार योजनाएं जिलाधिकारी को जमा की जाती है। तथा 31 दिसम्बर तक जिला पंचायत से स्वीकृति के पश्चात शासन को भेज दी जाती है। फिर माह जनवरी में सभी जनपदों की योजनाओं को संकलित कर राज्य योजना तैयार कर राज्य परिषद की स्वीकृति के बाद फरवरी तक केन्द्र सरकार को भेज दी जाती है। इस प्रकार कार्य मार्च अन्त या अप्रैल से प्रारम्भ हो पाता है। दूसरी ओर अप्रैल से जून तक खेती के कार्यो में व्यस्तता के कारण ग्रामवासी रोजगार योजना में अधिक रूचि नहीं दिखा पाते जुलाई अगस्त में बरसात तथा सितम्बर–अक्टूबर में पुनः फसल कटाई का कार्य हो जाता है। नवम्बर से मार्च तक के पांच महीनों में लोगों के पास पर्याप्त समय होता है। अतः रोजगार योजना का कार्य इन्ही महीनों में कराया जाय।

❑ कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाएं

सामान्यतया यह देखा गया है कि कार्य स्थल पर पीने के पानी के अतिरिक्त कोई भी सुविधा प्रदान नही की जाती है। कई जगहों पर पीने का पानी भी लोगों को घर से खुद ही लेकर जाना पड़ता है। कानून के अनुसार कार्य स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा किट, छोटे बच्चों की देखभाल की व्यवस्था तथा छाया की व्यवस्था अवश्य की जाय।

❑ सोशियल ऑडिट में सुधार

सोशियल ऑडिट की स्पष्ट व्यवस्था न हो पाने के कारण इसे प्रभावशाली तरीके से नहीं किया जा रहा है। अधिकतर स्थानों पर स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा ही सोशियल ऑडिट किया जा रहा है अतः सोशियल ऑडिट पर ब्लाक एवं पंचायत स्तरीय स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा सोशियल ऑडिट किसी बाह्य व्यक्ति के माध्यम से किया जाय। सोशियल ऑडिट में स्वैच्छिक संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जाय।

Scanned by CamScanner

संलग्नक–1

प्रतिभागियों की सूची

क्र.सं.	प्रतिभागी का नाम	पद	संस्था का नाम	पता
1	श्री आर.आर. फुर्टोड	निदेशक	समता	एस.के.सी.सी. होस्टल विकास नगर देहरादून।
2.	श्री सचिदानन्द भारती	सदस्य राज्य योजना आयोग	–	कक्ष संख्या 3 विधान सभा भवन देहरादून।
3	श्री पूरन बर्त्वाल	राज्य सलाहकार	जन कारवां मंच	क्लेमन टाउन देहरादून।
4	श्री ए.के. राजपूत	राज्य समन्वयक	ग्राम्य विकास विभाग	ग्राम्य विकास मन्त्रालय देहरादून।
5.	श्री यशपाल	–	प्रयास	रामगढ रोड, भवाली, नैनीताल
6.	कु. इन्दु	कार्यकर्ता	प्रयास	रामगढ रोड, भवाली, नैनीताल
7.	श्रीमती चम्पा देवी	संगठन सदस्य	प्रयास	रामगढ रोड, भवाली, नैनीताल
8.	श्री राम प्रसाद सेमवाल	प्रधान	–	ग्राम पंचायत छमरोटा पो. भमोली उत्तरकाशी
9.	श्री फते सिंह राणा	सा0कार्यकर्ता	–	ग्राम पंगरियाणा हिन्दाव टि0 गढवाल
10.	श्री प्रेम सिंह नेगी	सा0कार्यकर्ता	–	ग्राम अखोड़ी ग्यारह गांव टि0 गढवांल
11.	श्री मदन सिंह पंवार	ग्राम प्रधान	–	ग्राम सभा मेंडू सेंदवाल गांव भिलंग टिहरी गढवांल
12.	श्री संजय कुमार	सचिव	बसुधैव कुटम्बकम	नागणी टिहरी गढवाल
13.	श्री लक्ष्मण सिंह नेगी	सचिव	जनदेश	कल्प क्षेत्र भकी उर्गम जोशीमठ
14.	श्री रणजीत सिंह जाखी	सचिव	अदन संस्थान	जाखी डागर कीर्ति नगर टि0 गढवाल।
15.	जितेन्द्र कुमार	सचिव	लोक जागृति विकास संस्था कर्ण प्रयाग।	प्रेम नगर कर्ण प्रयाग।
16	सीमा असवाल	क्षेत्रीय कार्यकर्ता	जनदेश	कल्प क्षेत्र भकी उर्गम जोशीमठ
17.	विजय पाल सिंह	सदस्य	बसुधैव कुटम्बकम	ग्राम पलास, नागणी टि0ग0
18.	हुकमी मंडवाल	क्षेत्रीय कार्यकर्ता	युवक मंगल दल निजमुला	निजमुला जोशीमठ
19.	कुंवर सिंह	शिक्षा समिति सदस्य	–	ग्राम दुर्मी जोशीमठ चमोली।
20.	राम शाह	क्षेत्रीय कार्यकर्ता	जनदेश	उर्गम जोशीमठ ।
21.	हुकम सिंह	अध्यक्ष	शिक्षा विकास समिति	दुर्मी जोशीमठ।
22.	बीरा देवी	ग्राम प्रधान	–	ग्रम आली,ग्यारह गांव टि0ग0
23.	बसु देवी	वार्ड सदस्य	–	ग्राम गड़ेथा टि0गढवाल
24	सरस्वती देवी	संगठन सदस्य	भिलंगना सखी संगठन	ग्राम गड़ेथा टि0गढवाल
25.	सुलोचना देवी	संगठन सदस्य	भिलंगना सखी संगठन	ग्रम ढुंग,ग्यारह गांव टि0ग0
26.	बहादुर सिंह रावत	वन पंचायत सरपंच	वन पंचायत	ग्राम स्यूंण जोशीमठा चमोली
27.	राजेन्द्र सिंह	वार्ड सदस्य	–	उर्गम जोशीमठ।
28.	मातबर सिंह	वार्ड सदस्य	–	उर्गम जोशीमठ।
29.	गोबरी देवी	संगठन सदस्य	भिलंगना सखी संगठन	ग्राम त्रिकोट भिलंग टि0ग0
30.	आशा	समन्वयक	एम.के.एस.	दिनेश पुर, गदर पुर, उधम सिंह नगर।
31.	संगीता मौर्या	–	एम.के.एस.	दिनेश पुर, गदर पुर, उधम सिंह नगर।
32.	बसन्ती मेवाड़ी	क्षेत्रीय समन्वयक	एम.के.एस.	दिनेश पुर, गदर पुर, उधम सिंह नगर।
33.	गीता देवी	–	–	मदपुरी,पो0 मझरा,उधम सिंह नगर
34.	कमला देवी	–	–	भजपुरी, उधम सिंह नगर

Scanned by CamScanner

35.	देवकी देवी	–	–	भजपुरी, उधम सिंह नगर
36.	मंगल सिंह	–	–	चन्दाययन,गूलरभोज, उधम सिंह नगर
37.	रतन सिंह	–	–	चन्दाययन,गूलरभोज, उधम सिंह नगर
38.	गोबिन्द लाल	वार्ड सदस्य	–	ग्राम चडोली, भिलंग, टि0ग0
39	बच्चू	–	–	ग्राम चडोली, भिलंग, टि0ग0
40	गब्बर लाल	–		ग्राम त्रिकोट, भिलंग, टि0ग0
41	दीपक आर्य	–	–	ग्राम ढुंग,ग्यारह गांव,टि0ग0
42	गंगा देवी	–	–	खटीमा,पो0 खटीमा उधम सिंह नगर।
43	शांती देवी	–	–	खटीमा,पो0 खटीमा उधम सिंह नगर।
44	बिन्दी लाल	संगठन सदस्य	शिल्पकार संगठन भिलंगना।	ग्राम बडियार,हिन्दाव,टि0ग0
45	स्वतंत्री ब्धानी	सचिव	हिसर	नौ गांव बडकोट उत्तरकाशी।
46	आसिता डोभाल	सदस्य	हिसर	नौ गांव बडकोट उत्तरकाशी।
47	अजय कुमार	–	–	ग्राम दोणी,ग्यारह गांव,टि0ग0।
48	दर्शन लाल	–	–	ग्राम बडियार,हिन्दाव,टि0ग0
49	मंगल दास	वार्ड सदस्य	–	ग्राम गड़ेथा,ग्यारह गांव,टि0ग0।
50.	मनोज डंगवाल	.....	.....	अजब पुर कला देहरादून
51.	पंकज	कार्यक्रम समन्वयक	सोसाइटी फार इन्वायरनमेंट डेवलपमेंट	धर्मपुर देहरादून।
52.	कुसुम	उपाध्यक्ष	यू0वी.एच0ए0	नेहरू कालोनी देहरादून।
53.	प्रेम पंचोली	पत्रकार	जन मंच	रायपुर देहरादून।
54.	अवतार सिंह नेगी	सचिव	माउंट वैली	ग्राम दोणी,पो. मैगाधार टि0ग0
55.	जयेन्द्र पाल सज्जवाण	समन्वयक	माउंट वैली	ग्राम बहेड़ा, घनसाली,टि0ग0।
56.	उम्मेद सिंह रावत	क्षेत्रीय समन्वयक	माउंट वैली	कोठियाडा,चमियाला,टि0ग0।
57.	दिनेश जयाड़ा	सदस्य	हि0क0म0वि0एवं शिक्षा समिति	पौड़ी पौडी गढवाल
58.	राकेश अग्रवाल	–	–	देहरादून
59.	श्री देवब्रत पात्रा	क्षेत्रीय अधिकारी	एक्शन एड इण्डिया	लखनऊ।
60.	बसन्ती देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य	–	ग्राम तिलवाड़ी
61.	सुषमा शाह	अध्यक्षा	भिलंगना सखी संगठन	ग्राम ढुंग पो0 अखोड़ी टि0ग.।
62.	समराज राणा	प्रधान प्रति0	–	ग्राम पालर, पो0 गंगनानी उत्तरकाशी।
63	विरेन्द्र पैन्यूली	–	–	बल्लू पुर रोड देहरादून।
64.	डा. राजेन्द्र कोश्यारी	एस.पी.ए.	हिमोत्थान सोसाइटी	बसन्त विहार देहरादून।
65.	धीरेन्द्र नेगी	कम्प्यूटर आपरेटर	माउंट वैली	ग्राम दोणी,पो. मैगाधार टि0ग0
66.	अजय जोशी	प्रशिक्षण समन्वयक	लोक विज्ञान संस्थान	बसन्त विहार देहरादून।
67.	एस.एन गोस्वामी	कार्यक्रम समन्वयक	लोक विज्ञान संस्थान	बसन्त विहार देहरादून।
68.	नागेन्द्र दत्त	अध्यक्ष	टी.पी.वी.एस.	डुण्डा उत्तरकाशी।
69.	दुर्गा प्रसाद	कार्यक्रम समन्वयक	माउंट वैली	ग्राम दोणी,पो. मैगाधार टि0ग0
70.	विक्रम सिंह	–	जन कारवां मंच	साकेत कालोनी देहरादून।
71.	हिमांशु बहुगुणा	–	राष्ट्रीय सहारा	पटेल नगर देहरदून।
72.	उत्तम सिन्हा	लेखाकार	एक्शन एड इण्डिया	विनय खण्ड गोमती नगर लखनउ।
73	शालिनी गुप्ता	कार्यक्रम अधिकारी	एक्शन एड इण्डिया	विनय खण्ड गोमती नगर लखनउ।

Scanned by CamScanner

76.	मीरा कैन्तुरा	–	मैत्री	टर्नर रोड देहरादून।
77.	आर.एस. रावत	समन्वयक	मैत्री	टर्नर रोड देहरादून।
78.	कविता रावत	प्रेरक	माउंट वैली	ग्राम दोणी,पो. मैगाधार टि०ग०
79.	सैन सिंह पंवार	प्रेरक	रैका विकास समिति	प्रताप नगर टिहरी गढवाल।
80.	कीर्ति सिंह राणा	सचिव	रैका विकास समिति	प्रताप नगर टिहरी गढवाल।
81.	रेखा भण्डारी	क्षेत्रीय समन्वयक	माउंट वैली	ग्राम दोणी,पो. मैगाधार टि०ग०
82.	पंचम सिंह	लेखाकार	माउंट वैली	ग्राम दोणी,पो. मैगाधार टि०ग०
83.	महावीर सिंह	–	–	ग्राम दोणी,पो. मैगाधार टि०ग०
84.	कमला देवी	संगठन सदस्य	भिलंगना सखी संगठन	ग्राम छैती,पो. देवट टि०ग.।
85.	सरोज बाला	सामुदायिक कार्यकर्ता	माउंट वैली	ग्राम दोणी,पो. मैगाधार टि०ग०
86.	नितिला	सदस्य	हिसर	नौगांव उत्तरकाशी।
87.	अनिल	–	इण्डिया टाइम्स	देहरादून
88.	सुक्कम	–	बी.ओ.ओ.आर.वी.आई.एस.एम	देहरादून।
89.	अहमद	–	जैन टी.वी.	देहरादून।
90.	हितेश	–	देव दिशा	देहरादून।
91.	नवीन	–	दून दैनिक	देहरादून।
92.	राजेश	–	दैनिक जागरण	देहरादून।
93.	दीपक	–	जन भारत	देरादून।
95.	राजकुमार	–	दैनिक टाइम्स	देहरादून।
96.	अनूप	रिपोटर	दैनिक जागरण	देहरादून।
97.	नवीन	रिपोटर	सहारा न्यूज	देहरादून।
98.	अवधेश	रिपोटर	टाइम्स न्यूज	देहरादून।
99.	शंकर	रिपोटर	जैन टी०वी०	देहरादून।
100.	त्रिलोक	रिपोटर	पंजाब केसरी	देहरादून।
101.	नीना	रिपोटर	जैन टीवी	देहरादून।
102.	सुकान्त ममगांई	रिपोटर	दैनिक हिन्दुस्तान	देहरादून।
103.	अनिल नेगी	–	सहारा टी०वी०	देहरादून।
104.	दिनेश कुकरेती	रिपोटर	दैनिक जागरण	देहरादून।
105.	केदार दत्त	रिपोटर	दैनिक जागरण	देहरादून।
106.	शिवानी भण्डारी	रिपोटर	जन भारत मेल	देहरादून।
107.	सुनीता भटट	रिपोटर	एन.एन.आई.	देहरादून।
108.	सूर्य मणी	–	–	नौगांव उत्तरकाशी
109.	जानकी	कार्यक्रम समन्वयक	प्रयास	तम्माढ रोड नैनीताल।

Scanned by CamScanner

संस्था के बारे में .....

माउन्ट वैली डेवलपमेंट एशोसिएशन (MVDA) एक अलाभकारी स्वैच्छिक संस्था है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है तथा विगत 10 वर्षों से उत्तरांचल हिमालय के गढ़वाल मण्डल के टिहरी जनपद में अपने उदभव काल से ही तृणमूल स्तर पर समुदाय के स्तर पर जल जंगल जमीन से जुड़े मुद्दों पर कार्य कर रही है।

हमारी सोच

पर्वतीय ग्रामीण समुदाय के साथ चिरंतर विकास, आजीविका संवर्द्धन का कार्य करें ताकि समुदाय का सतत चिरंतर विकास किया जा सके।

अपनी सोच को धरातल पर परिणित करने हेतु संस्था निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुदाय में कार्यरत है :

- ग्राम्य विकास से जुड़े सामुदायिक संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों के साथ तालमेल स्थापित करना।
- प्राकृतिक संसाधनों के नियोजन एवं प्रबन्धन में जन सहभागिता को प्रभावी बनाकर एक पर्वतीय माडल विकसित करना।
- आजीविका संवर्द्धन से सम्बन्धित माडलों को कार्यक्षेत्र में सामुदायिक स्तर पर स्थापित करना।
- सूचना प्रसारण के माध्यम से समुदाय विशेषकर महिलाओं को जागरूक करना ताकि वह विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके परिणामस्वरूप निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
- विकास प्रक्रिया में जन समुदाय, शासकीय कर्मचारियों की जबावदेही सुनिश्चित करने हेतु पहल करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने हेतु संस्था निम्न कार्य सम्पादित कर रही है।

1. महिला व बच्चों का सामाजिक एवं राजनैतिक सशक्तीकरण, 2. सूचना के अधिकार को जन–जन पहुंचाने हेतु जन जागरण करना, 3. कृषि प्रसार, 4. समुदाय के सफल कार्यों का दस्तावेजीकरण, 5. नियोजन प्रक्रिया में जन समुदाय की भागीदारी।

हमारे सहयोगी जिन्होंने हमें मजबूती प्रदान की

ग्यारहगांव महिला मंच, सेम गधेरा जलागम संघ मैगाधार, टिहरी, ग्राम विकास समिति, क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सहायता समूह, एकीकृत जलागम संघ, छैली, कैठार एवं सैड़, देवंज तथा देवट न्यायपंचायत के ग्रामीण समुदाय।

हमारे सहयोगी

एक्शन एड, सर रतन टाटा ट्रस्ट,सर दौराब टाटा ट्रस्ट, आक्सफेम हांगकांग, आई.जी.एस. एस., कपार्ट, नाबार्ड, वाणी, सम्बन्ध, अखिल भारतीय महिला किसान महासंघ, सी.एन.आर. आई. नई दिल्ली, लोक विज्ञान संस्थान (पी.एस.आई.), हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर (हार्क), स्वास्थ्य विभाग, नई टिहरी आदि।

Scanned by CamScanner